



सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 मार्च, 2016

घोडश विधान सभा
द्वितीय सत्र

बुधवार, तिथि 16 मार्च, 2016 ई०
26फाल्गुन,1937(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाहन)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, कल आपके कक्ष में बात हुई थी, आपके कक्ष में हमलोग मिले थे, हमने विषय रखा था । राज्य में पेयजल संकट के संबंध में चिन्ता हमलोगों ने व्यक्त की थी । साथ-ही-साथ, राज्य के अन्दर पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन पाया जा रहा है, इससे बड़े पैमाने पर बीमारी हो रही है । महोदय, राज्य के अन्दर जो बंद जल मीनार हैं, बंद चापाकल हैं, उनका मेन्टेनेंस नहीं हो रहा है । मुख्यमंत्री चापाकल योजना के संबंध में हमलोगों ने आग्रह किया था, कल कार्य-स्थगन के जरिये हमलोगों ने विषय को लाया था और आज हमलोगों ने नियम-105 के तहत जमा किया है । हम चाहेंगे कि सरकार.....

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, कल भी आपसे बात हुई थी, आप पुराने सदस्य हैं, इस सदन के नियम एवं प्रक्रियाओं से आप खुद अवगत हैं कि जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है, उसमें एक-से-एक गम्भीर या गम्भीरतम् मुद्दों को उठाने की प्रक्रिया निर्धारित है । हमने कल भी आपसे आग्रह किया था और आज भी आपसे आग्रह करते हैं कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के तहत गम्भीर मुद्दे पर विमर्श के लिए जो प्रक्रिया है, नियम है, उसके तहत आप नोटिस दीजिये, उसपर विचार किया जायेगा, उसपर सरकार भी विचार करेगी ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सरकार हर मुद्दे पर आपके आदेशानुसार तैयार है, जो भी करना है सरकार करेगी । प्रेम बाबू नये-नये बने हैं....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू बने हैं, सब लोगों को सहयोग करना चाहिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : प्रेम बाबू बने हैं तो प्रेमपूर्वक हाउस चले, इनके प्रेमपूर्ण व्यवहार का सरकार प्रत्युत्तर प्रेमपूर्वक देना चाहती है लेकिन प्रेम बाबू सहयोग करें ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ नेता प्रतिपक्ष से आग्रह किया गया है, सरकार को कोई एतराज नहीं है, सरकार पहले दिन से सदन में यह कह रही है, जिस विषय को माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं, गम्भीर से गम्भीर मुद्दे पर सरकार बहस के लिए तैयार है, सरकार उसका उत्तर देने के लिए तैयार है, सरकार भागने

वाली नहीं है । सरकार बिहार की जनता का पूरा ध्यान रखती है और उसकी समस्या का हल चाहती है ।

अध्यक्ष : आपका क्या है श्याम जी ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव लाया है, उन्होंने कहा है और माननीय विजेन्द्र बाबू ने जो कहा है, यह पूरे बिहार का सवाल है, पूरे राज्य के विधायकों का सवाल है, राज्य के करोड़ों जनता का सवाल है, पानी हर व्यक्ति को चाहिये, जल ही जीवन है....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, विजेन्द्र बाबू ने तो मात्र इतना कहा कि प्रेम बाबू हैं, जो भी प्रस्ताव प्रेमपूर्वक आयेगा, उसपर प्रेमपूर्वक विचार होगा और प्रेमपूर्वक उत्तर होगा । यही तो उन्होंने कहा है ।

श्री श्याम रजक जी, क्या कहना चाह रहे हैं ?

श्री श्याम रजक : महोदय, भारत के संविधान की हत्या की साजिश की जा रही है । आरक्षण जो दिया गया है, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अशोक कुमार जैन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाय । एम०एल०ए०, एम०पी०, एम०एल०सी०, जन प्रतिनिधियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाय । हम चाहते हैं कि सदन वित्तीय कार्य के बाद इसपर दो घंटे का बहस कराये क्योंकि दलित लोग इससे प्रभावित होंगे । दलित लोगों को गाजर-मूली की तरह शिकार बनाया जा रहा है । रोहित वेमुला की हत्या होती है और कई लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं । इसलिये हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण के सवाल पर जिस तरह से भारत सरकार कर रही है, दलितों पर हमला हो रहा है.....

(विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ बोलने गये)

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, सत्तारूढ़ दल के विधायक इस तरह से बिना किसी नियम के तहत खड़े हो गये । आखिर किस नियम के तहत ये बोल रहे हैं ? माननीय सदस्य श्याम रजक जी ने किस नियम के तहत खड़े होकर सवाल को रखा है ? ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं । महोदय, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का पक्षधर है, आगे भी रहेगी लेकिन बिहार की सरकार पंचायतों में अन्य जातियों को शामिल करके अति पिछड़ों का, महादलितों का अधिकार छीनने का काम कर रही है....

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हम चाहते हैं कि देश में आरक्षण रहे लेकिन बिहार सरकार ने अति पिछड़ी जातियों में 17 जातियों को शामिल करके और महादलित में तीन जातियों को शामिल करके अति पिछड़ों और महादलितों को अधिकार से वंचित करने का काम किया है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है, माननीय सदस्य जो उठा रहे हैं । कल पार्लियामेंट में भी भारत सरकार ने अपनी बातों को स्पष्ट किया है इसी सन्दर्भ में, लेकिन यहाँ अभी जो आदरणीय श्याम रजक साहब उठा रहे हैं, राज्य सरकार संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं, चाहे वह पिछड़ा का हो, आदिवासी का हो या दलित का हो, उसके प्रति आरूढ़ रहेगी, कोई उसमें क्षरण, कोई उसमें विरोधाभास नहीं है, कोई उसके अधिकार को छीन नहीं सकती है । सरकार मुस्तैदी से इसके पक्ष में है ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न । श्री राम विलास पासवान ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थक है.....

(विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह खड़े हो गये ।)
(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । बैठ जाइये ।

प्रश्नोत्तर काल । तारांकित प्रश्न । श्री राम विलास पासवान । माननी प्रभारी मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

प्रश्नोत्तर काल

तारांकित प्रश्न संख्या- 1398 (श्री राम विलास पासवान)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ कुल तीन पथों का अंश है जिसका विवरणी निम्न प्रकार है-

1. सतकार चौक से नारायणपुर तक पथ- यह पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत एल0 031-टी0 02 से दयोरी के नाम से वर्ष 2013-14 में स्वीकृत है तथा निर्माणाधीन है ।

(व्यवधान)

2. नारायणपुर बदला धाम से होते हुए सौर तक पथ- यह पथ पी0एम0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत पथ जगरनाथपुर से अमरपुर का पथांश है। उक्त पथ की स्वीकृति वर्ष 2008-09 में प्राप्त हुई थी परन्तु इसके निर्माण के प्रारम्भ से ही संवेदक एवं विभाग का मामला माननीय न्यायालय के द्विव्यूनल में लंबित है जिसके कारण पथ का निर्माण कार्य बाधित है । माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

3. सौर से चन्नो महगामा उच्च पथ- उक्त पथ की मरम्मति शीर्ष 3054 अंतर्गत पी0डब्लू0डी0 मोहनपुर संथाली टोला से भल्लू सुजान भाया मोहनपुर संथाली टोला से भल्लू सुजान भाया पंखोर के नाम से जिसकी लम्बाई 4.10 कि0मी0 है, कराई गई है एवं पथ की स्थिति अच्छी है ।

अध्यक्ष : बैठिये । प्रश्नोत्तर काल चले ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, गड़बड़ स्थिति है । कृपा करके अतिशीघ्र बनवाने की कृपा की जाय । कबतक बनायेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि कबतक बनायेंगे ? समय बता दिया जाता, अध्यक्ष जी ।

(व्यवधान)

टर्न-2/आजाद/16.03.2016

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जनता दल की सरकार थी बिहार में, लालू यादव की सरकार थी और उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, श्याम बाबू भी बिहार के मंत्री थे और उस समय पंचायती राज में अतिपिछड़ा और महादलितों को आरक्षण देने की बात आयी तो सरकार पीछे हट गई और सरकार कोर्ट चली गयी । ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं.....

(व्यवधान)

श्री श्याम रजक : महोदय, इन लोगों का आरक्षण समाप्त करने का सजिश है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए रत्नेश जी, प्रेम जी बैठ जाइए । अब हो गया, अब तो बोल चुके न । फिर बात निकल जायेगी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, बार-बार खड़े हो जाते हैं, यह क्या मतलब है, ऐसे नहीं चलेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कब तक बनेगा ?

श्री प्रेम कुमार : महोदय, महोदय

अध्यक्ष : अब छोड़ दीजिए, आप बोल चुके । आप अपनी बात प्रेम बाबू बोल चुके । अब चलिए माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान जी, पूरक प्रश्न पूछिए न, मंत्री जी का जवाब हो गया है ।

श्री राम विलास पासवान : यह दूसरी सड़क है लेकिन नारायणपुर बदला धाम, सौर और महगामा उच्च पथ तक यह सड़क दूसरी है महोदय । मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इसको कब तक बनायेंगे, क्योंकि सड़क की स्थिति जर्जर है । बगल में एन०जी०आर० एन०टी०पी०सी० का मतलब कोयला ट्रेन से आता-जाता है । इसी के बगल में यह पथ है और बहुत जर्जर स्थिति है और करीब 50 गांवों के लोगों का उससे आवागमन है और इससे झारखण्ड एवं बिहार दोनों जुड़ता है, बहुत स्थिति जर्जर है । उसमें जब पानी आ जाता है, पानी आ जाने के बाद आदमी महोदय लाईन पर चढ़कर जाता है, कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, घोघा-सन्हौला पथ, पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत लौंग टर्म आऊटपुट एंड परफॉरमेंस वेस्ड रोड एसैट्स मेनटेनेन्स कंट्रैक्ट के पैकेज नं-46बी में शामिल है। इस पथ की पूरी लम्बाई 16 किमी0 है। वर्तमान में इस पथ में ऑडीनरी मेनटेनेन्स प्रावधान के तहत कार्य कराया जा रहा है।

इस ओ0पी0आर0एम0सी0 के पैकेज में पीरियोडिक मेनटेनेन्स के तहत एस0डी0बी0सी0 का कार्य कराया जायेगा। एकरारनामा के तहत फरवरी,2016 से जनवरी,2017 तक 8 किमी0 एवं फरवरी,2017 से जनवरी,2018 तक 8 किमी0 एस0डी0बी0सी0 कराया जाना है।

श्री सदानन्द सिंह : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1400(श्री अनिल कुमार यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, आशिक स्वीकारात्मक है। बलुवाही धार काफी छिछला धार है तथा वर्तमान में यह सुखा हुआ है। जिसमें किसानों के द्वारा खेती भी की गई है। बरसात के दिनों में भुट्ठा नेपाल के पास सूरधर धार से पानी स्पील होने पर बलुवाही धार में आता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रश्नागत स्थल पर धार की गहराई 3फीट से 3फीट 6 इंच पायी गयी है। अतः प्रश्नागत स्थल पर स्लुर्झस गेट निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है।

श्री अनिल कुमार यादव : श्रीमान् वर्तमान में उस नदी में पानी अभी भी है। सुखी हुई नदी यदि कहा गया है तो यह गलत रिपोर्ट है और पूर्व में भी वहां दो-तीन नदियां हैं, 2008 के कोसी त्रासदी में स्लूर्झश गेट उसपर था और वह टूट गया था। मनरेगा वाले बनाने के लिए भी तैयार हैं, विकास आयुक्त ने चिट्ठी भी दिया है। यदि मंत्री महोदय का मार्ग निर्देशन विभाग को हो जाय तो उससे उसका निर्माण हो जायेगा।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, हमने बताया कि पानी जो धार में आता है, वह स्पील हो करके पानी आता है। उसमें कोई परमानेन्ट पानी का धार नहीं है और जब स्पील हो करके पानी आता है तो उस पानी से स्थानीय किसान हैं, उस पानी से सिंचाई की सुविधा कर ले सकते हैं। लेकिन उसका जो डेप्थ है, वह डेप्थ भी पर्याप्त नहीं है टेक्निकली स्लुर्झस गेट के निर्माण के लिए। इसलिए मैंने कहा कि वह टेक्निकली फिजिबुल नहीं है।

श्री अनिल कुमार यादव : महोदय, पूर्व में भी वहां पर स्लुर्झस गेट था, दो-तीन नदी है, दोनों-तीनों पर धार छोटी-छोटी है, 2008 में वह टूट गया। बहुत छोटा काम है और

इससे बहुत अधिक सिंचाई होती है। यदि निर्देश माननीय मंत्री जी दे दें अपने इंजीनियर को

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पूर्व में भी था, माननीय मंत्री उसको देखवा लीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम उसको कह देंगे कि फिर से उसको एक्जामिन कर लें, अगर टेक्निकली फिजिबुल होगा तो कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1401(डॉ रंजू गीता)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1402(श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय यादव)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, इन तीनों पथों पर मुख्य बाजारों, चौराहों एवं तिराहों पर व्यस्त समय में यदा-कदा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है लेकिन बिना विलम्ब किए स्थानीय प्रशासन द्वारा उस पर उचित कार्रवाई कर वाहनों का सुगम आवागमन किया जाता है।

चूंकि वर्तमान में पथ की चौड़ाई 7 मीटर (डबल लेन) है, इसलिए चौड़ीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय यादव : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि विक्रमगंज नगर पंचायत जो है, वहां की जनसंख्या 80 से 90 हजार है। माननीय मंत्री जी ने अभी बोला कि प्रशासन द्वारा जाम हटा दिया जाता है लेकिन चौड़ीकरण के बिना इतनी बड़ी कठिनाई वहां पर होती है कि उस कठिनाई को मैं क्या बताऊँ। वहां पर वोटर 58000 है, चूंकि विक्रमगंज नगर पंचायत की जनसंख्या 80 से 90 हजार की है। यह ऑलरेडी नगर परिषद् में भी कन्भर्ट हो गया है, अगले बार वह नगर परिषद् में भी हो जायेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री जी पर्सनली इसको देख करके थोड़ा सा विचार कर लिया जाय।

तारांकित प्रश्न सं0-1403(श्री सुरेश कुमार शर्मा)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, 1. - स्वीकारात्मक है।

2. - स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई एन0एच0 102 से 1.3 किमी0 है । लहलादपुर गांव की आबादी 250 से कम रहने के कारण इसे किसी भी कोरनेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है ।

अतः वर्णित पथ की निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा : महोदय, ये 250 से ज्यादा संख्या का रोड है और यह 20 साल पहले बना था और वह रोड बिलकुल जर्जर हो गया है । मंत्री महोदय, इसकी जाँच करा लें, यह 250 से कम का नहीं है और इसको कब तक बनायेंगे ?

श्री शैलेश कुमार : विभाग की ओर से तो यही प्राप्त हुआ है लेकिन माननीय सदस्य का कहना है तो इसको हम देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत सैंकड़ों सड़के कोरनेटवर्क में शामिल नहीं है तो क्या मंत्री महोदय जो सड़क कोरनेटवर्क में नहीं है, उसको कोरनेटवर्क में लाने का प्रयास करेंगे कि नहीं और अगर करेंगे तो कब तक ?

टर्न-3/अंजनी/दि0 16.3.16

अध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री जी जो सड़कें कोर नेट वर्क में नहीं हैं, उसके लिए सरकार की कोई योजना है ?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, हमलोग एक अनुठा चीज उनके निर्देश पर कर रहे हैं, जो भी छूटे हुए बसावट हैं, हमलोग उसको सेटेलाईट मैपिंग के द्वारा फिर उसको जोड़ने का काम करेंगे । इसपर काम चल रहा है, एक डेढ़ महीने में रिजल्ट आ जायेगा ।

अध्यक्ष : महेश्वर जी, सरकार ने बताया कि जो सड़कें कोर नेट वर्क में शामिल नहीं हैं, जो छूट गयी हैं, उसके लिए सेटेलाईट मैपिंग कर अलग से सरकार उनको शामिल करने की कार्रवाई कर रही है ।

तारंकित प्रश्न सं0-1404(श्री विजय कुमार मंडल)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कार्य कराया जा रहा है । इस कार्य का एकरारनामा दिनांक 4.9.14 को किया गया । एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 3.9.15 थी । वर्तमान में इसमें 21 पाईल एवं 3 पाइल कैप का कार्य पूर्ण किया जा चुका है,

सोफ्ट का कार्य प्रगति पर है, शेष कार्य को जून,16 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री विजय कुमार मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह जिला मुख्यालय को जोड़नेवाली जो सिकटी प्रखंड है, एकमात्र मुख्य पथ है और उसी पर यह रानीपुल बन रहा है और इसको कबतक कार्य पूर्ण कराने का विचार सरकार रखती है?

अध्यक्ष : सरकार ने कहा है कि जून, 2016 तक कार्य कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, जून,2016 तक। महोदय, मेरा एक आग्रह है कि माननीय सदस्य का कहना सही है। इसमें विलम्ब होने का कारण यह है कि समय पर केन्द्र पैसा नहीं दे रही है। हमने माननीय सदस्य को बताया कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है, अगर समय पर केन्द्र पैसा दे देती तो इस कार्य को पहले ही कर देते। हमने कहा कि जून,2016 तक इसको पूर्ण करा देंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-1405(श्री अशोक कुमार सिंह(224))

श्री शैलेश कुमार : महोदय, क- अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों ओर ग्रामीण कार्य विभाग की कोई सड़क निर्मित नहीं है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में चार किलोमीटर की दूरी पर और डाउन स्ट्रीम में 6 किलोमीटर की दूरी पर पुल अवस्थित है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, रफीगंज प्रखंड मुख्यालय को वह सड़क जोड़ती है और रफीगंज जहां से हम आते हैं, वह नक्सल प्रभावित इलाका है। प्रखंड मुख्यालय आने के लिए कासमा बाजार होकर सैकड़ों गांव के लोग रफीगंज मुख्यालय में आते हैं। इस पुल का निर्माण होने से दस किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। पुल नहीं रहने के बजह से लोग 3.00 बजे-4.00 बजे ही प्रखंड मुख्यालय को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रात हो जाता है और वह नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2016-17 में इसे कार्य योजना में शामिल करने का आग्रह करता हूँ।

श्री शैलेश कुमार : ठीक है।

तारांकित प्रश्न सं0-1406(श्री नारायण प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मदुआहों गांव से बसबरिया होते

हुए दक्षिण तेलुआ पोखर चौक तक पथ की कुल लम्बाई 4.15 किलोमीटर है, पथ के 2.15 किलोमीटर पथांश ईंटकृत है एवं 1.9 किलोमीटर पथांश कच्ची है, जो नहर के बांध से होकर गुजरती है, शेष 100 मीटर पक्की है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्मित झकरा पीठ से बरबसिया पथ का अंश है, यह पथ राज्य कोर नेट वर्क के क्रमांक 13 एवं 14 पर अंकित है, इसके निर्माण हेतु 350 लाख रूपये यानी 3 करोड़ 50 लाख रूपया व्यय अनुमानित है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पथ का निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय,

श्री शैलेश कुमार : महोदय, हम तो स्वीकारात्मक दे ही दिये ।

श्री नारायण प्रसाद : यह 5 पंचायत को जोड़नेवाली सड़क है, आजादी के बाद उन पंचायतों को मुख्यालय से सीधा सम्पर्क नहीं होने के कारण 14 किलोमीटर घूमकर लोग आते हैं, जबकि 4.15 किलोमीटर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बताया है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसको जल्द-से-जल्द कराया जाय । इस सड़क को बनाना अतिआवश्यक है और फंड की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1407(श्री रामप्रीत पासवान)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 10 किलोमीटर है, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा जनवरी,2010 में पूर्ण कराया गया है । पथ की रूटिन अनुरक्षण की अवधि समाप्त हो चुकी है, पथ क्षतिग्रस्त है, परन्तु इसपर आवागमन चालू है । यह पथ राज्य अनुरक्षण नीति के दस श्रेणी-1 में सम्मिलित है । निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ की मरम्मति का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अंधराठाड़ी से मधुबनी के लिए एक ही सड़क है, जिसकी लम्बाई 20 किलोमीटर है और बीच में जो 10 किलोमीटर सड़क है, उसमें 5 किलोमीटर सड़क ठीक है, जहां पी0सी0सी0 है । जहां कालीकरण है, वह सड़क पूरा जर्जर है, चलने लायक नहीं है तो मैं आपके माध्यम

से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वरसात से पहले क्या इसकी मरम्मति करा सकते हैं ?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, यह श्रेणी-1 में शामिल है, यह तो होना ही है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1408(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि चकिया-केसरिया-सत्तरघाट पथ के 6ठे किलोमीटर में पुलिया का निर्माण कराया गया है ।

2- इस पुलिया के अपस्ट्रीम के बड़े भूभाग में नीची जमीन पर मिट्टी भरकर जमीन मालिकों द्वारा टाउनशीप का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिया के सामने श्री नेमी लाल साह, पिता श्री शिवपूजन साह, ग्राम-शीतलपुर, थना-चकिया द्वारा अपने निजी जमीन में मिट्टी भर दिया गया है । अपस्ट्रीम में टाउनशीप के निर्माण से जमीन उँचा हो जाने के कारण जल निकासी बंद है ।

पथ अवर प्रमंडल, चकिया के पत्रांक 239 दिनांक 8.11.2014 एवं पत्रांक 59 दिनांक 24.02.2016 द्वारा चकिया थाना में लिखित सूचना दिया गया है एवं प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी को दूरभाष पर पुलिया के सामने से मिट्टी हटाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमने जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर इसके लिए आग्रह किया था । बड़ा चौर है, वृद्धावन चौर है, जिसके बीच से होकर यह रोड गुजरती है । चकिया-केसरिया के 5वें किलोमीटर पर यह पुल बना है, पुलिया नहीं है, बड़ा पुल है, जिससे बड़े पैमाने पर पानी का निस्सरण होता है । पिछली बार भी काफी परेशानी हुई थी और कई भू-माफिया उसके बगल में जमीन खरीद लिए हैं और लगातार शिकायत करने के बाद उस पुल के मुहाने को साफ नहीं कराया गया है, जिसके कारण अगल-बगल के 7-8 गांव में जल जमाव हो जाता है और लोंगों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है । लगातार आग्रह करने के बाद मुझे जो जानकारी है, कल वहां के एस0डी0ओ0 ने मुझे फोन किया था और फोन पर यह बता रहे थे कि सर, उस पुल का मुहाना हमलोग साफ करा दे रहे हैं, विधान सभा में देखियेगा कि हमलोगों पर कोई दबाव नहीं पड़े, यह कल की बात है महोदय । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी कमिटी बना दीजिए, पदाधिकारियों की कमिटी या जन-प्रतिनिधियों की कमिटी से इसकी जांच करा दीजिए कि कितना क्यूसेक पानी उस पुलिया से या उस पुल से निकलना है ? कितना बड़ा एरिया को वह पुल गाईड करता है पानी निकलने के मामले में, आप इसकी जांच

कराकर इसपर जल्द-से-जल्द कोई निर्णय लेकर, चूंकि पानी बहुत जल्द आनेवाला है दो महीना के बाद, पानी भी आ जायेगा, बड़ा चौर है, इसलिए इसका निष्पादन कराइए ताकि वह पानी निकले। इसलिए मेरा अनुरोध है कि क्या आप कोई पदाधिकारियों या जन-प्रतिनिधियों की कमिटी बनाकर, इसकी जांच कराकर पानी निस्सरण की समुचित व्यवस्था करना चाहते हैं?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, एक बार कौड़िनेट हम कर लेते हैं; जिलाधिकारी से भी हम बात कर लेते हैं और जैसा होगा, वैसा करेंगे।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : समय-सीमा तो बता दिया जाय, क्योंकि सामने वरसात है। महोदय, आपसे पूरी उम्मीद है, एक समय-सीमा बता दिया जाय।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : निजी जमीन है, इसको हम देख लेते हैं।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, इसको जल्द-से-जल्द करा दिया जाय।

टर्न-4/शंभु/16.03.16

तारांकित प्रश्न सं-1409/श्री प्रभुनाथ प्रसाद

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआंव, चरपोखरी एवं गड़हनी प्रखंडों को मिलाकर कुल 10 अद्द नलकूपों में से 4 अद्द नलकूप चालू हैं। शेष 6 नलकूप विभिन्न दोष से बंद हैं। बंद नलकूपों में से चालू होने लायक नलकूपों को कार्यरत जीर्णोद्धार करने हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

श्री प्रेम कुमार : माननीय मंत्री ने कहा कि बजट उपलब्धता के आधार पर तो दो साल से बंद है। क्या राज्य सरकार ने लघु जल संसाधन विभाग में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं किया था और क्या जो बंद पड़ा था दो साल से चूंकि नुकसान किसानों का हो रहा है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि जो बंद है तो पिछले दो वित्तीय वर्ष में क्या बजट प्रावधान था कि नहीं, बताइये?

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, हम देखवा लेते हैं।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, क्या देखवा लेंगे? हम साफ कहे कि दो वित्तीय वर्ष में क्या बजट था? मंत्री जी को होमर्क करके आना चाहिए था। हम चाहेंगे देखवाने से बढ़िया

होगा.....व्यवधान....इतना जल्दी मत खड़ा होइये, माननीय मंत्री को मौका दीजिए, मंत्री महोदय जवाब दें.....व्यवधान।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : सुन तो लीजिए। कई एक नलकूप ऐसे हैं जो 20 साल, 30 साल पुराने हैं और नहीं चलने लायक भी हैं जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 इसमें भायबुल है, बाकी भायबुल है ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसको अगले वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध-यह बजट सत्र है, जब आप बजट पास कर देंगे, विनियोग विधेयक पारित हो जायेगा, महामहिम की अनुमति मिल जायेगी तभी तो आवंटन मिलेगा, ठीक ही कहा माननीय मंत्री ने। अब ये पूछ रहे हैं बाबा आदम जमाने की बात।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, 2014-15 एवं 2015-16 में बजट में प्रावधान होगा, सरकार ने सदन से बजट पास कराया होगा और नमूना है, पूरे बिहार का सारा नलकूप बंद पड़ा हुआ है। हम चुनौती देते हैं सरकार को और सरकार बताये कि किन परिस्थितियों में और कब तक सरकार बंद नलकूपों को चालू कराने का काम करेगी।

अध्यक्ष : सरकार बना देगी। आप जो कहेंगे उसको भी बनवा देगी।

तारांकित प्रश्न सं0-1410/श्री नेमतुल्लाह

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है।

1- बरौली बाजार से मोहनपुर पथ इस पथ की लंबाई 7 किमी0 है जो पी0सी0सी0 है एवं अच्छी स्थिति में है। 2- मोहनपुर से बगेजी पथ यह पथ लंबाई 4 किमी0 है जो खराब है। पथ राज्य कोर नेटवर्क के सी0यू0सी0एल0 के क्रमांक-2 पर अंकित है। 3- बगेजी से शेर स्टेशन पथ, यह पथ बड़ैया से नरौली स्थित पी0एम0जी0एस0वाइ0 रोड का पथांश है। इस पथ की लंबाई 0.5 किमी0 है, जो अच्छी स्थिति में है। उपरोक्त वर्णित क्रमांक-2 के पथ का निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्रमानुसार पथ का मरम्मति कार्य कराया जायेगा।

श्री नेमतुल्लाह : महोदय, मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है। इतनी बुरी हालत में है जो बगेजी से शेर तक है, मंत्री जी से हम कहते हैं कि चलकर देख लें या किसी से जाँच करवा लें। इतनी बुरी स्थिति में है और मोहनपुर से लेकर बगेजी तक पैदल चलना मुश्किल है। इसलिए इनको कम से कम सही जानकारी हासिल करनी चाहिए, कह दिया कि अच्छी स्थिति में है। बाजार से- प्रखंड की सड़क है, मेन सड़क है, जो बरौली तक जाती है। वह मेन एन0एच0 से जाती है उसकी स्थिति

ठीक है, लेकिन शेर से जो बरौली प्रखंड तक आती है, वह इतनी बुरी स्थिति में है कि लोग वहां पर बरसात में.....

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए न ?

श्री नेमतुल्लाह : प्रश्न है कि कब तक हमारी सड़क को बनवा देंगे, बनवा देंगे एक सीमा निर्धारित कर दें कि कब तक वे बनवा देंगे ? जानकारी हासिल करें सही।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, हमने माननीय सदस्य को बताया कि तीन पथों से संबंधित है- पहला है जो 7 किमी 0 है वह तो अच्छी स्थिति में है। दूसरा है जो मोहनपुर से बगेजी वह खराब स्थिति में है। जिसको हम निधि की उपलब्धता- वह क्रमांक-2 पर है। इसको हम करवा देंगे। तीसरा है-बड़ैया से नरौली तक जो पथांश है। इस पथ की लंबाई 0.5 किमी 0 है यह अच्छी स्थिति में है। ठीक है, इसको हम देखवा लेंगे।

श्री नेमतुल्लाह : और बधेजी से शेर तक ?

अध्यक्ष : उसको भी देखवा लेंगे।

श्री भाई वीरेन्द्र : माननीय विधायक की चिंता है कि मंत्री जी शेर तक पहुंचवा दें, ये हमारे मजबूत माननीय विधायक हैं, राजद के हैं इसलिए शेर तक जाना चाहते हैं। इसको करवा दिया जाय।

श्री नेमतुल्लाह : महोदय, मेकर से नेचर नहीं बदलता है, मेकर बदलने से नेचर नहीं बदलता है।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, यह जो सड़क है काफी जर्जर है, यह आधा मेरे क्षेत्र में आता है और आधा उनके क्षेत्र में आता है।

अध्यक्ष : आपके क्षेत्र में है तो आप नेमतुल्लाह जी को धन्यवाद दीजिए।

श्री मिथिलेश तिवारी : उनको भी देंगे और माननीय मंत्री जी को भी देंगे, माननीय मंत्री जी इसको बनवा तो दें।

तारांकित प्रश्न सं-1411/श्री चन्दन कुमार

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल रामपुर गांव से 5 सौ मीटर की दूरी पर गड़घाट पर अवस्थित है। उक्त पथ कच्ची है जिसके बीच में कोई बसावट नहीं है। उस पुल के दूसरे तरफ बसावट खेरा, कोरियामी, नरही, पिचम्मा, मारन, हरदापट्टी, अतवन, मेघौना को संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल के अप स्ट्रीम में 7 किमी 0 पर पुल निर्मित है एवं डाउन में 10 किमी 0 पर पथ एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्दन कुमार : महोदय, वहां लगभग 20 से 30 गांव ऐसे हैं जो कि नदी के उस पार है और जब तक यह पुल नहीं बनेगा तब तक प्रखंड मुख्यालय से वे लोग अलग रहेंगे तो बढ़िया से महोदय देखवा लिया जाय। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिस विभाग से या जिस पदाधिकारी से जाँच करवाते हैं उनको सही रिपोर्ट देनी चाहिए। वहां फिर से जाँच करवाया जाय।

अध्यक्ष : देखवा लीजिए।

श्री शैलेश कुमार : ठीक है।

तारंकित प्रश्न सं0-1412/श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय

श्री शैलेश कुमार : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है।

2- अस्वीकारात्मक है।

3- वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम फेनहरा एवं फेनहरा गड्डी के दोनों तरफ पथ का रेखांकन नहीं है। यहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। प्रश्नाधीन के अप स्ट्रीम में 1 कि0मी0 की दूरी पर पुल निर्मित है। अतः वर्णित पथ पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : महोदय, काफी दूरी तय करके आना पड़ता है, 6 कि0मी0 की दूरी इशुआपुर प्रखंड से तरैया प्रखंड आकर उस गांव में आना पड़ता है। पुल यदि बन जाता है तो दोनों गांव के लोगों के लिए आनेजाने के लिए काफी सुविधा हो जायेगी। दोनों तरफ.....

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : पूरक है कि हर हाल में पुल बनना चाहिए।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं कि 1कि0मी0.....

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : 1 कि0मी0 नहीं 3 कि0मी0 है।

अध्यक्ष : 3 कि0मी0 है। दूसरी बात कह रहे हैं कि पुल के दोनों तरफ सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, निजी जमीन है। वहां पुल बनने के बाद सड़क भी नहीं बन पायेगी, सो कह रहे हैं।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : जमीन उपलब्ध करा देंगे वहां पर। पुल बन जाने पर जमीन उपलब्ध हो जायेगा और सड़क से जुड़ जायेगा।

अध्यक्ष : आप सब चीज माननीय मंत्री जी को दीजिएगा, वह देखेंगे।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : ठीक है।

टर्न-5/अशोक/16.03.2016

तारांकित प्रश्न संख्या-1413(श्री दिनेशचंद्र यादव)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : कोपरिया से रामधनी चौक बनमा तक की सड़क पथ निर्माण विभाग की सड़क नहीं है । यह पथ जिला परिषद, सहरसा की सड़क है ।

यह सही नहीं है कि कोपरिया से रामघाटी चौक बनमा तक के पथ को हस्तान्तरण के लिए जिला पर्षद, सहरसा ने वर्ष 2003 में अनापत्ति दे दिया था । वस्तुतः जिला पर्षद द्वारा उक्त पथांशों के लिए नहीं बल्कि एस.एच.-95 के अंश माथाचौक से धनचड़ पथांश के लिए वर्ष 2007 में 8 कि.मी. का अनापत्ति पत्र दिया गया था एवं तदनुसार साढ़े पांच कि.मी. इस पथांश का हस्तान्तरण हुआ था एवं इस पथांश पर कार्य कराया जा रहा है, जो निकट भविष्य में पूर्ण होने की स्थिति में है । एस.एच.-95 पर अवस्थित कोपरिया से रामघाटी चौक बनमा तक का अधिग्रहण विभाग के द्वारा नहीं किया गया है । इसलिए अभी भी यह पथ जिला पर्षद, सहरसा के अधीन ही है । पथ का फिजिलिटी प्रतिवेदन पथ में उपलब्ध ROW (Right of Way), यातायात घनत्व एवं शोध की उपलब्धता को देखते हुये पथ के अधिग्रहण के संबंध में विचार किया जाता है । वर्तमान में इस पथ के अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी समस्या बहुत छोटी है, वह यह है कि जो रामघारी चौक, बनमा है वह पथ निर्माण विभाग के सड़क पर है और हम चाहते हैं कि रामघारी चौक, बनमा से स्टेट हाई पथ निर्माण विभाग का ही, स्टेट हाई वे-95, उसमें कोपरिया है, उसकी दूरी 3 कि.मी. है और यह जिला पर्षद की सड़क है तो मेरा प्रश्न है कि वह जो 3 कि.मी. जिला पर्षद की सड़क है वह पथ निर्माण विभाग अधिग्रहण करके वह एक लिंक दे दे जो पी.डब्लू.डी. सड़क पर से लोग स्टेट हाई पर जाये फिर आगे जिनको जहां जाना होगा जायेंगे । इसमें जिल पर्षद ने अनापत्ति दी, पेन से स्लीप हो गया उसमें लिखा गया 2003- लेकिन 27.09.2011 को जिला पर्षद ने अनापत्ति दिया कि लिंक पथ बनाने के लिए अगर पथ निर्माण विभाग ले तो हमको आपत्ति नहीं है इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि मात्र 3 कि.मी. जो आपके ही पथ को दोनों सिरों को जोड़ेगा, जिला पर्षद अनापत्ति दे दिया है, तो क्या 3 कि.मी. सड़क को, पथ निर्माण विभाग लेकर लिंक देकर वहां के लोगों को लाभ पहुंचायेंगे क्या ?

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य श्री दिनेश चन्द्र यादव जी, आपने जो पूरक पूछा है, उसका जवाब मंत्री जी ने पहले दे दिया है, यह 3 कि.मी. का जो स्ट्रैच है उसका

एन.ओ.सी. विभाग को प्राप्त नहीं है जिला पर्षद की तरफ से, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, जो मंत्री जी ने कहा कि एस.एच. -95 के क्रम में 8 कि.मी. का एन.ओ.सी. मिला था, जिस पर काम चल रहा है। आप आग्रह करिये, तो आप वहीं तक बात रिखये न, बाकी पूरक का तो जवाब दे ही दिये हैं।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा विषयान्तर हो गया, जिस सड़क में अनापत्ति दिया जो वह बन रहा है लेकिन यह दूसरा 3 कि.मी. जो है, वह एप्रोच रोड होगा स्टेट हाई एवं पथ निर्माण विभाग का तो क्या मंत्री जी उस 3 कि.मी. सम्पर्क पथ का अधिग्रहण कर लेंगे?

अध्यक्ष : मंत्री जी आपके आग्रह पर विचार करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-1414(श्री रत्नेश सादा)

श्री शैलेश कुमार : 1. स्वीकारात्मक है।

2. स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2 कि.मी. है, जिसमें एक कि.मी. में ईट सोलिंग एवं एक कि.मी. कच्ची है। उक्त पथ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के सी.एन.सी.पी.एल. के क्रमांक⁹ पर सम्मिलित है, उक्त पथ के निर्माण हेतु प्रस्ताव में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है तत्पश्चात् भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त इसका निर्माण कराया जा सकेगा।

श्री रत्नेश सादा : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उक्त पथ का पक्कीकरण कब तक करायेंगे?

अध्यक्ष : वे तो बोले कि पी.एम.जी.एस.वाई. में शामिल है और वह सरकार की प्राथमिकता में है, पैसा मिलेगा तो होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या-1415 (श्री अशोक कुमार(132))

श्री शैलेश कुमार : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानाधीन स्थल पुनर्मा धर्मपुर घाट बागमती नदी पर है, इस घाट के पूर्व भाग में पी.एम..जी.एस.वाई के अन्तर्गत पथ निर्माधाधीन है एवं पश्चिम भाग में सोलिंग पथ है। इस स्थल पर 75 मीटर लम्बे पुल एवं 1.5 कि.मी. पथ निर्माण की आवश्यकता होगी। प्रश्नाधीन स्थल से लगभग 8 कि.मी. डाउन स्ट्रीम में उच्चस्त्रीय पुल निर्मित है। अतः वर्णित स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1416(श्री सुरेन्द्र कुमार)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : 1. आंशिक स्वीकारात्मक है। बागमती विस्तारीकरण योजना फेज-टू के अन्तर्गत बागमती बायां और दायें तटबन्ध के निर्माण के कार्य लगभग पांच वर्षों से कराया जा रहा है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है।

3. उत्तर स्वीकारात्मक है ।
4. लखनदेई नदी के दोनों किनारे तटबन्ध निर्माण का कार्य बागमती विस्तारीकरण योजना फेज -5 के तहत प्रस्तावित है ।

श्री अशोक कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा. मंत्री महोदय से स्पष्ट होना चाहता हूँ कि फेज -टू के तहत लखनदेई के दोनों तटबन्ध का निर्माण कब तक होगा इसलिए कि हजारों एकड़ जमीन उस लखनदेई के दोनों किनारे पर है और तटबन्ध जर्जर स्थिति में है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो कहा कि यह फेज -5 में शामिल है, अभी फेज -2 चल रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1417(श्री कृष्ण कुमार ऋषि)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ धीमा से देवोत्तर की कुल लम्बाई 4.65 कि.मी. है, इस पथ का निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय एजेंसी एन.बी.सी.सी. द्वारा कराया गया है । इस पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण समाप्त हो चुका है । वर्तमान में इसमें पूर्व से निर्मित 3x6 मीटर आकार का पुल क्षतिग्रस्त है, साथ ही इस पथ में एक पुल बिहर राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा बनाया गया है, जिसक एप्रोच पथ क्षतिग्रस्त है । प्रश्नाधीन पथ बनमंखी प्रखण्ड के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु श्रेणी- दो की सूची में है। निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के क्रमांक के अनुसार पथ इसमें पड़ने वाले पुल एवं पुलियों का मरम्मति कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया हैं कि वह पुल क्षतिग्रस्त है और वह बनमंखी और पूर्णिया जाने का लूप लाईन है और वह पुल इतना क्षतिग्रस्त है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है । हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वह बहुत मेजर है, आप इसको कब तक मरम्मति कराकर आवागमन के लिए चालू करवा दीजियेगा?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री शैलेश कुमार : महोदय, अभी श्रेणी-वन का काम चल रहा है, यह श्रेणी-टू में है प्राथमिकता के आधार पर, हम इसको देख लेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : इसमें प्रथमिकता क्या होगी ? उसमें दुर्घटना घटना है, इतना मेजर है कि घटना घटना है और मंत्री जी बोल रहे हैं कि दिखलवा लेंगे, आज न कल इसमें घटना घटेगी, मरम्मति कराने में क्या दिक्कत है? महोदय कम से कम जवाब तो दिलवा दीजिये। कम से कम जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री शैलेश कुमार : हम देंख लेंगे, माननीय सदस्य हम से मिल लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मरम्मति के लिए कह रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार : मरम्मति कराने का प्रोभिजन नहीं है विभाग में, हम नया बना सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप तो पुल को फिर से बना ही रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य की चिन्ता मात्र इतनी है कि इस बीच में जो क्षतिग्रस्त है, कोई दुर्घटना न हो जाय इसलिए इसको दिखलवा लीजिये और आवश्यक हो तो कुछ मरम्मत भी करा दीजिए ।

श्री शैलेश कुमार : जी, जी । मैं दिखलवा लेता हूँ ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हम जानना चाहते हैं । आदरणीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना शुरू हुई थी, केन्द्र ने सड़क बनाने का पैसा दे दी है महोदय, तो सड़कों का रख-रखाव करना किनकी जिम्मेवारी है-यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ।

जो सड़कें राज्य के अन्दर बन गये, उसके रख-रखाव की जिम्मेवारी किनकी है? (व्यवधान) प्रश्न में सड़क, पुल दोनों हैं । हमारा महोदय इतना ही आग्रह है कि जो राज्य के अन्दर में निर्माण कराये गये प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत पुलिया और सड़कों का, उनके रख-रखाव की जिम्मेवारी किसकी है ?

टर्न-6-16-03-2016-ज्योति

अध्यक्ष : अभी तो इसका निर्माण होना बाकी है अभी रख रखाव की बात कहाँ है?

श्री प्रेम कुमार : जो बन गया है जिसमें काम हो गया है ।

श्री कृष्ण कुमार ऋषि : काम हो गया है और वही टूट गयी है ।

श्री प्रेम कुमार : रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है स्टेट गवर्नमेंट की है या भारत सरकार की है यह स्पष्ट करें तो राज्य सरकार की उन सड़कों की बेहतर करने की क्या नीति है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : भारत सरकार की एजेन्सी ने बनायी है । वह रोड भी पूरी नहीं हुई है । जब वह रोड राज्य सरकार को हैण्ड ओवर कर देगी तब राज्य

सरकार की मेंटीनेंस पॉलिसी है। इसमें कोई कंफ्युजन नहीं है। लेकिन जो सड़क अधूरी है राज्य सरकार ने हैण्ड ओवर नहीं लिया है। उसके मेंटीनेंस के लिए तो वही एजेंसी जिम्मेवार है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह अलाहदा प्रश्न है। माननीय मंत्री ने कहा कि हम देखवा लेंगे।

श्री प्रेम कुमार : जो सड़क पूरी हो गयी है उसकी बात हमलोग कर रहे हैं, जो सड़क हैण्ड ओवर हुई ही नहीं है उसकी तो केन्द्र की जिम्मेवारी है तो राज्य सरकार को सड़क हैण्ड ओवर हो गई है उसका सरकार मेंटीनेंस कर रही है? विषय वही है महोदय। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि वह सड़क क्या आपने हैण्ड ओवर कर लिया है?

श्री शैलेश कुमार : महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शुरू में 5 जगहों में केन्द्र ने ऐसी एजेन्सी को काम दे दिया जो आजतक हमलोगों से सम्पर्क तक नहीं किया। उसमें एक आपका एन०बी०सी०सी० भी है। जितनी भी रोड पहले बनायी गयी वह साल दो साल में टूट गयी। उसके बाद से फिर राज्य सरकार को दिया गया। चूंकि मरम्मत करना राज्य सरकार का काम है इसलिए हमने कहा राज्य सरकार करेगी दूसरी बात है कि इने लोगों ने अनावश्यक 60/40 कर दिया है।

अध्यक्ष : राज्य सरकार करेगी, ठीक है।

तारांकित प्रश्न संख्या -1418 (श्री तारकिशोर प्रसाद)

श्री शैलेश कुमार : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन दो पथ की स्थिति निम्नतः है:

कटिहार -डंडखोरा पथ नंबर-1 उक्त पथ श्रेणी- वन में सम्मिलित है। निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार उक्त पथ की मरम्मती करायी जा सकेगी।

नंबर -2- कटिहार -पूर्णिया पथ से कनवाटोला पथ, उक्त पथ श्रेणी-2 में सम्मिलित है। उक्त पथ की मरम्मती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी की संवेदनशीलता को जानते ही हैं। वह सकारात्मक भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ और प्रश्न भी करना चाह रहा हूँ कि कटिहार-डंडखोरा पथ विभागीय पथ है और 2006 में इसकी मरम्मती हुई थी। कटिहार अनुमंडल का कटिहार प्रखण्ड और डंडखोरा के अलावा बारसोई अनुमंडल से वह सड़क जुड़ती है और वह ग्रामीण क्षेत्र की लाईफ लाईन है। उस सड़क की मरम्मती आवश्यक है। कटिहार नगर का भी कुछ अंश उससे जुड़ा हुआ है। हम माननीय मंत्री जी

से पूछना चाह रहे हैं कि 2006 के बाद उसमें एक बार मेंटीनेंश अवश्य हुआ लेकिन उस सड़क की हालत काफी बदतर हो गयी है। क्या माननीय मंत्री जी चालू वित्तीय वर्ष में या आगामी वित्तीय वर्ष के किसी अवधि तक में उस सड़क की मरम्मती कराना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : आगामी वित्तीय वर्ष में करियेगा ।

श्री शैलेश कुमार : आगामी वित्तीय वर्ष में करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति और । अभी जो कटिहार-पूर्णिया से कनवाटोला की जो बात है इस सड़क पर एक आर्मी कैम्प अधिष्ठापित हुआ है । वह सड़क सीधे आर्मी कैम्प को जोड़ती है । उसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज और कई आवासीय मुहल्ले हैं और कटिहार नगर निगम क्षेत्र एकदम बगल में है, उस सड़क का काफी महत्व है और यह एक विभागीय पथ है । उस पथ का भी अगर आप मरम्मत करा दें क्योंकि वह बहुत छोटी सड़क है । क्या माननीय मंत्री जी उसको कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : दूसरे पथ के बारे में कह रहे हैं ।

श्री शैलेश कुमार : पहला पथ माननीय सदस्य ने जो कहा कटिहार डंडखोरा पथ वह श्रेणी वन में है और उसकी मरम्मती निश्चित रूप से करा देंगे, दूसरा श्रेणी टू में है इसको हम देख लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1419 (डा० रामानुज प्रसाद)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : प्रश्नाधीन दुधैला मोड़ एन०एच०-१९ पर है जिसके निर्माण एवं रख-रखराव का जिम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन०एच०ए०आई०) का है ।

एन०एच०ए०आई० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं० -१९ के हाजीपुर -छपरा खण्ड के 4 लेनिंग कार्य के एकरारनामा में दुधैला मोड़ (बाईपास) पर गोलम्बर का निर्माण कराने का प्रावधान नहीं है लेकिन हाजीपुर-पटना (एन०एच०-१९) का 4 लेन का कार्य के अंतर्गत इस तिराहे पर वाहनों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए समुचित व्यवस्था की जायगी । वर्णित तिराहा पर समुचित व्यवस्था नहीं होने का मुख्य कारण यह है कि इस पथांश का निविदा एम/एस मधुकॉन लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत किया जा रहा है और मधुकॉन कंपनी के गंभीर वित्तीय संकट में फंस जाने के कारण कार्य ठप पड़ा है ।

शेष निर्माण कार्य, तिराहे पर समुचित व्यवस्था सहित कालबद्ध तरीके से करने हेतु अनेकों बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को मेरे स्तर से लिखा गया है एवं मैंने व्यक्तिगत रूप से भी श्री नितिन गडकरी जी का इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

डा० रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी ओर से केन्द्र का ध्यान आकृष्ट किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ लेकिन जबतक केन्द्र सरकार या एन०एच०ए०आई० की एजेन्सी नहीं करा पाती है वहाँ इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी होगा क्योंकि माननीय मंत्री जी का जुड़ाव मेरे विधान सभा क्षेत्र से बहुत पुराना है और वहाँ एक दिन में दो दो, तीन लोगों की मौतें होती हैं। इतना घनी वह चौराहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि तत्कालिक उसपर व्यवस्था न हो तो तबतक गति अवरोधक भी जो कोर्ट के आदेश से तोड़वा दिया गया है वह बनाया जाय नहीं तो अन्डरपाथ का प्रोविजन किया जाय तो यह राज्य सरकार राज्य हित में कर सकती है और जनता के हित में करने का मैं आग्रह करता हूँ।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, यह सड़क नेशनल हाई-वे है और यह सड़क भारत सरकार की है। जैसा माननीय मंत्री ने बताया है कि सड़क भारत सरकार की है और वह नेशनल हाई-वे है और हमलोगों ने राज्य के हित में और स्टेट प्लान से महोदय, सरकार में स्वयं जब पथ निर्माण मंत्री थे तो ऐसी सड़कों को महोदय, आईडेन्टिफाई किया था और चिन्हित करके स्टेट प्लान की राशि स बनाया था तो क्या माननीय मंत्री ऐसे राज्य में जो नेशनल हाई-वे की सड़के हैं जो ज्यादा क्षतिग्रस्त है क्या स्टेट प्लान से पूरा कराने का विचार रखती है?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : महोदय, हमलोगों का ऑलरेडी बकाया हजार करोड़ केन्द्र पर है! हमने अपने भाषण में भी बताने का काम किया था। हमलोगों का लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमलोगों का अपना भी रोड मैप प्लान है उसके तहत भी हमलोग काम कर रहे हैं। हमलोगों की लगातार कोशिश और प्रयास है केन्द्र पर दबाव देकर कि पहले वह राशि हमलोग उपलब्ध करा लें और एन०एच० के रख रखाव के लिए दुगुना डिमांड किया है जो 80 से 100 करोड़ मिलता है उससे काम नहीं चलने वाला है। लगभग 2400 किमी० देखने का काम हमलोग करते हैं। हमलोगों की मांग है कि लगभग 200 करोड़ हमलोगों को दिया जाय इसपर केन्द्र

सरकार को विचार करना है और फिर से रिमाइंड करना होगा तो रिमाइंड कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1420 श्री मनोहर प्रसाद सिंह

श्री शैलेश कुमार : महोदय, स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ मनसाही प्रखंड अंतर्गत कुरेठा ग्राम पंचायत के आरोड़ोमीठो सड़क से लावाकुण्डी तक की कुल लंबाई 2.14 किमी है प्रश्नाधीन पथ वित्तीय वर्ष 15-16 के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष : ठीक है।

टर्न-7/विजय/16.3.16

तारांकित प्रश्न संख्या-1421(श्रीमती गायत्री देवी)

श्री शैलेश कुमार: महोदय, 1. स्वीकारात्मक है।
 2. आंशिक स्वीकारात्मक है।
 3. वस्तुस्थिति यह है कि सोनवर्षा प्रखंड के भलुआहा एवं विषणपुर, आधार पंचायत में 21 बसावटों टोलों तथा बलुआहा, परसा, खुर्द, दसहरनिया, विषणपुर, आधार, बरियारपुर प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत एवं मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजना अंतर्गत निर्मित पथों से सम्पर्कता प्रदान की गई है। वर्तमान में चैनपुर महादलित टोला को जोड़ने वाली दोनों पथ मुसहरनिया से चैनपुर एवं चैनपुर से लकड़वा पथ पक्की नहीं है। विषणपुर आधार पंचायत में विषणपुर आधार ग्राम से महादलित टोला तक पथ पक्की नहीं है। पूरे राज्य में पूर्व से तैयार राज्य कोर नेटवर्क जो छूटे हुए और चिन्हित टोलों अथवा बसावटों को सेटेलाइट मैपिंग की मदद से चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस अचिन्हित टोलों एवं बसावटों को चिन्हित करते हुए इन्हें बारहमासी सड़क प्रदान किया जाएगा।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है महादलित का टोला है सड़क सम्पर्क से वर्चित है। मैं जानना चाहती हूं कि चैनपुर एवं विषणपुर आधार दलित टोला को कब तक सरकार सड़क से जोड़ना चाहती है?

प्रश्न संख्या 2 है महोदय माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विषणपुर आधार पंचायत के हरखनिया ग्राम में दलित महादलित टोला आधा किमी सड़क से दूर है उसको भी जांच कराकर सड़क सम्पर्क पथ से जोड़ने का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं, कब तक?

अध्यक्षः गायत्री जी उन्होंने बताया है कि अभी यह कोर-नेटवर्क में नहीं है लेकिन अभी जो सेटेलाइट मैपिंग से सरकार जो छुटे हुए सड़क हैं उनको कार्य योजना में शामिल कर रही है। उसमें आपके इन टोलों को शामिल कर के आगे की कार्रवाई करेगी। यह सरकार ने बताया।

श्रीमती गायत्री देवीः महोदय, कब तक यह चलेगा? सारे मंत्री, हर आदमी कह रहे हैं कि होगा। कब तक होगा। समय तो बता दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री महेश्वर प्र0 यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी सेटेलाइट से पता लगाना चाहते हैं सड़कों का। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि माननीय विधायकों द्वारा जो सूची दी जाएगी छुटी हुई सड़कों का उसको कोर नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं कि नहीं?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जो माननीय विधायक लिखकर देते हैं उसको भी अपने सेटेलाइट मैपिंग के क्रम में उसकी जांच करा लीजिये।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री से कि चालू वित्तीय वर्ष में वैसे राज्य सरकार के बजट के सभी विभागों में अनुसूचित जाति जन जाति के लिए महोदय अलग प्रोवीजन किया जाता है राशि का। तो चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग में क्या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई राशि निर्धारित थी कि नहीं?

श्री शैलेश कुमारः सरकार की यह मंशा है कि जितने भी बसावट छुटे हुए हैं चाहे वह किसी भी जाति के हों सबको हमलोगों को पहुंच पथ देना है।

श्री प्रेम कुमारः महोदय, राज्य सरकार के बजट में ग्रामीण कार्य विभाग का बजट हमलोगों ने पारित किया महोदय विधान सभा से उस बजट में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए।

(व्यवधान)

श्री शैलेश कुमारः पहले आरक्षण न हमलोगों का बचाइये जो दिल्ली में चाट रहे आरक्षण बैठ कर के।

श्री प्रेम कुमारः यह आरक्षण का मामला नहीं है बजट में राज्य सरकार के सभी विभागों में जो जानकारी है सभी विभागों में अनुसूचित जाति जन जाति के लिए राशि का उपबंध होता है। हम यही जानना चाह रहे थे कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में राशि का उपबंध था तो क्या खर्च किया गया या नहीं किया गया?

अध्यक्षः वह होता ही है लेकिन अभी सवाल है कि जो छुटे हुए सड़क हैं या माननीय सदस्या ने जिस टोले का प्रश्न किया है उसके संबंध में माननीय मंत्री ने बताया है

और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो माननीय विधायक लिखकर देंगे उसको सेटेलाइट मैपिंग के क्रम में उसको शामिल कराने की कार्रवाई करेंगे।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय।

कार्यस्थगन ।

(व्यवधान)

डॉ० मो० जावेदः अध्यक्ष महोदय, किशनगंज के जेल अधीक्षक, श्री कृपाशंकर पाण्डेय के करतूतों के बारे में जो अखबारों में छपा है वह बहुत ही अफसोसजनक बात है सर, और यह वह शख्स है।

अध्यक्षः आप उसकी सूचना विधिवत किसी फारमेट में दे दीजियेगा।

डॉ० मो० जावेदः सूचना आप ही के जरिये दिया जा रहा है सर। यह वह शख्स है जो जुलाई में भी पिछले साल इसी तरह का हरकत किया था और उस वक्त के डी०एम० ने तीन मेम्बर के इंक्वायरी टीम बना के इसका रिपोर्ट पटना में भेजा। उसके बावजूद उसका तबादला नहीं किया गया और फिर उसने रिपीट किया है सर। यह बड़ा गंभीर मामला है और एक माइनर लड़की को अपने आवास पर बुलाने का मकसद क्या है? इसका फोटोग्राफिक इवीडेंस है।

अध्यक्षः जावेद जी। उसको विधिवत आप लिखकर दे दीजियेगा, किसी नियम के तहत उठाइये, सरकार उसको देखेंगी।

(व्यवधान)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, व्यवस्था है।

अध्यक्षः क्या व्यवस्था है?

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः मैंने जल संसाधन विभाग से प्रश्न किया था और जो मेरा प्रश्न है जवाब बिलकुल उसके विपरीत है। यह व्यवस्था है कि इस प्रश्न का जवाब जो प्रश्न मेरा है उसके संदर्भ में सही जवाब आवे।

अध्यक्षः वह अलग से आप दे दीजियेगा सभा सचिवालय देखेंगा उसको।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः ठीक है।

कार्य-स्थगन

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल तीन कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्री मिथिलेश तिवारी।

आज दिनांक 16 मार्च, 2016 को सदन में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से परिवहन विभाग की मांग पर

वाद विवाद तथा मतदान होने का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्य स्थगन प्रस्ताव में जिन विषयों को उठाने की सूचना दी गयी है उसके संबंध में पहले भी विचार हुआ है और आगे भी विचार के लिए नियत है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 99 (1) के (II) एवं (III) के तहत उपर्युक्त सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

शून्यकाल ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: महोदय, हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना लंबे समय से चल रहा था राज्य के अंदर में उससे बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा था। राज्य सरकार ने सेवन निश्चय लाने का काम किया है उसमें सरकार ने फैसला लिया है कि नली गली का हम निर्माण करायेंगे उसके माध्यम से।

अध्यक्ष: आप विधिवत् सूचना दे दीजिये।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, उसमें पार्क है, तालाब है, घाट है, सामुदायिक भवन है, स्लम बस्तियों का विकास है, भेंडीग का है। ये सारे जो चीजें हैं उसमें सम्मिलित थे। लेकिन सड़क नाली की वजह से इस योजना को बंद करना महोदय उचित नहीं लगता है। उसमें 900 जो कर्मचारी थे उनको 9.3.16 से सरकार ने हटाने का आदेश दिया है जो चार वर्षों से काम कर रहे थे। उनका डूड़ा जो जिला पदाधिकारी विकास अभिकरण है उनके राशि का भुगतान नहीं कर पायी है। हटाने का फैसला लिया है। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि जब मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में जो प्रोवीजन था कि शहरों का विकास हो सड़क नाली की वजह से महोदय आपने सेवन निश्चय लाया है ठीक लाया है लेकिन आप उसमें सड़क नाली हो हटाते लेकिन आपने पार्क को हटा दिया है, तालाब को, घाट को, सामुदायिक भवन को, वर्डिंग जॉन को, स्लम बस्तियों के विकास को ये सारी योजनायें महोदय मुख्यमंत्री नगर विकास से हुआ करता था। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर विचार करे। यह ठीक है सड़क नाली आप कहते हैं कि उसमें नहीं रखेंगे लेकिन बाकी योजनाओं को तो कम से कम सम्मिलित करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर महोदय शहरों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। जब तक नहीं हो जाता है तबतक इन योजनाओं को सरकार चालू रखे।

अध्यक्ष: शून्यकाल । श्री अशोक कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा: कार्यस्थगन का क्या हुआ उसका मामला था ? कब चर्चा होगी ?

अध्यक्ष: कार्य स्थगन पर तो हमने नियमन दे दिया । कार्य स्थगन आपका नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य हो गया । तब उस पर क्या चर्चा होगी !

श्री विजय कुमार सिन्हा: चर्चा होगी तो कब चर्चा होगी ? यही तो जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: चर्चा होगी तो उसका जो तरीका है उससे चर्चा होगी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: जानकारी तो मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष: जब चर्चा हो जाएगी तब आपको जानकारी मिल जाएगी ।

शून्य काल

श्री अशोक कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के नुवांव प्रखण्ड अन्तर्गत दुमदूमा गांव में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनकर तैयार है । केन्द्र चालू नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है । उक्त भवन में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र चालू करने की माग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश तिवारी: अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के सिध्वलिया थानान्तर्गत भारत सुगर मिल में श्री रामेश्वर सिंह, किसान के गन्ना में 5.40 क्विंटल घट्टौली पकड़ी गयी थी जिसका सिध्वलिया थाना कांड सं0-16/2015, दिनांक 26.02.2015 दर्ज है । 100 करोड़ से अधिक राशि की घट्टौली करने वाले अभियुक्तों पर अविलंब कार्रवाई की जाय ।

टर्न-8/बिपिन/16.3.2016

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के सहार के बरूंही में खेत की रखवाली कर रहे किसान राजेन्द्र महतो की हत्या 22 फरबरी, 2016 को अपराधियों द्वारा कर दी गयी । अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है, न ही उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया गया है । अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड से 25 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित आबादपुर थाना के 11 पंचायतों को मिलाकर वर्षों से आबादपुर को प्रखण्ड बनाने की मांग जनता करती आ रही है । सरकार के पास भी इसे प्रखण्ड बनाने का प्रस्ताव है । मैं अविलम्ब आबादपुर को प्रखण्ड बनाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य में विगत दिनों आए बिना मौसम बरसात एवं ओला वृष्टि से बड़े पैमाने पर किसानों का फसल नुकसान हुआ है ।

अतः सरकार फसल क्षतिपूर्ति अनुदान देने की कार्रवाई करे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, डी.एम.सी.एच. दरभंगा इमर्जेन्सी वार्ड में एक्सरे यूनिट पिछले कई वर्षों से बन्द है, दो नई मशीन डेढ़ साल पहले खरीदी गई लेकिन अभी तक चालू नहीं है । आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः नई मशीन चालू करने एवं बन्द के लिए दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई।

अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल पहले यह दो नई मशीन लाखों रुपए की लागत से, जनता का पैसा है और एक भी एक्स-रे प्लेट नहीं निकला । बक्सा में बंद है और इमर्जेन्सी में एक्सरे प्लेट नहीं है । जो भी इमर्जेन्सी के पेशेंट पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत दूर में सर्जिकल वार्ड है, वहां लाइन लगा रहता है और यह बक्सा में बंद है । डेढ़ साल पहले सप्लायर को भुगतान भी हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर एवं बारून प्रखण्ड के नार्थ कोयल के सिचाई से वंचित गांवों में लगातार तीन वर्ष से अकाल के कारण लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हैं ।

अतः सरकार से असिंचित गांवों में लिफ्ट बोरिंग लगाकर एवं सरकारी बोरिंग लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कराने की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला में लगभग 550 पोखर एवं अनेक बड़े जलकर हैं जिनका वर्ष 1992 से रिनोभेसन नहीं हुआ है । एक ही स्थान की बन्दोबस्ती मत्स्य विभाग मछुआरों को तथा अंचलाधिकारी एस.सी.,एस.टी. को कर रहे हैं ।

अतः पोखरों की सफाई करने तथा नियमानुसार बन्दोबस्ती की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है । एक ही पोखर का दोनों विभाग से करने के कारण वहां दोनों समाज में तनाव बना रहता है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को रखता हूँ कि पोखरों की सफाई करने तथा नियमानुसार बन्दोबस्ती की मांग करता हूँ ताकि वहां पर तनाव समाप्त हो। नहीं तो बराबर तनाव दोनों के बीच बना रहता है ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया स्थित छावनी उपरिगामी पुल निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा अनशन जारी है । अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर चल रहे इस अनसन में श्री विद्यानन्द शुक्ल की स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल भी भेजना पड़ा ।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि विभाग शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करे।

अध्यक्ष महादय, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से समस्या बनी हुई । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उपमुख्यमंत्री जी गोपालगंज पुल के उद्घाटन के

समय में गए थे जहाँ सब लोग मिले थे तो वहाँ बताया गया था सचिव महोदय के माध्यम से कि दो दिन में मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला है।

श्री मुंद्रिका सिंह यादव : माननीय सदस्य अनुपस्थित।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के प्रखंड रामनगर के ग्राम धोकराहा-तौलाहा होते हुए ग्राम बधनी के तरफ जाने वाली ध्वस्त पटवन नाला जिसकी लम्बाई लगभग 1000'(एक हजार फीट)फीट है, का पक्कीकरण कराने की मांग करती हूँ।

हुजूर, नाला को दिखवा लिया जाए जिससे लोगों का उद्धार हो।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत दाउदनगर एवं नासरीगंज के बीच सोन नदी में बन रहे पुल के बगल में डायभर्सन से आने-जाने के क्रम में असामाजिक तत्वों द्वारा यात्रियों से प्रति व्यक्ति 30रु0 एवं मोटर साइकिल से 50रु0 और चार पहिया वाहन से पाँच सौ रुपये वसूला जा रहा है।

इसे रोकने की मांग करता हूँ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला सहित पूरे बिहार में मुख्यमंत्री चापाकल योजना बंद होने से आम जनता में पानी का घोर किल्लत है।

अतः चापाकल योजना प्रारंभ करने तथा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाने में राशि गबन की जांच कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी शहर में मछली बाजार के लिए जगह निर्धारित नहीं रहने के कारण सड़क किनारे मछली का व्यवसाय हो रहा है जिससे सड़क जाम होती है। साथ ही, मछली बीमारियों का वाहक हो रही है।

अतः मछली व्यवसाय के लिये जगह निर्धारित करने की मांग करता हूँ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत दिनांक 11.03.2016 को चेनारी प्रखंड के सबराबाद के त्रिलोकी बिंद की एन.एच.-2 पर कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई जो बी.पी.एल. परिवार के हैं।

उक्त मृतक के आश्रित को सरकार दस लाख रुपए मुआवजा एवं नौकरी दे।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के ग्राम सोनडीहा में दिनांक 21.02.2016 को ग्यारह हजार बोल्ट बिजली का तार गिरने से राजन्ती देवी पति लखन यादव ग्राम तेतरीया थाना आमस एवं दो जानवरों की मृत्यु हो गई है।

सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करता हूँ।

डा० राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केशरिया प्रखंड में सरोतर चवर में जल जमाव के कारण हजारों एकड़ भूमि खेती से वर्चित हो रही है।

सरकार से मांग करता हूं कि सरोतर चवर के जल निकासी हेतु मास्टर प्लान तैयार कराकर खेती योग्य बनायें ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत आन्दर प्रखंड के आन्दर बाजार में जल मीनार बनकर तैयार है लेकिन लोगों तक नियमित पानी नहीं पहुंचता है । जल मीनार बंद है जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल से वर्चित रहना पड़ता है ।

अतः जनहित में सरकार जल मीनार का पानी चालू कराने की मांग करता हूं।

श्री वशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला में 102 एवं 108 एम्बुलेंस बंद हैं । आपातकाल स्थिति में एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने से गरीब रोगी जिन्दगी एवं मौत से जूझते हुए किसी तरह अस्पताल पहुंचते हैं ।

सरकार से मांग करता हूं कि पूर्व के एम्बुलेंस चालक द्वारा 102 एवं 108 एम्बुलेंस चलाया जाए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, राज्य हित में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को चालू किया जाय ।

टर्न-9/राजेश/16.3.16

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार:- महोदय, आग्रह है कि इसपर सरकार का जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष:- अब हो गया। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी, आप अपने ध्यानाकर्षण को पढ़िये।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री रविन्द्र यादव एवं श्री दिनकर राम, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- महोदय, ध्यानाकर्षण पूर्व में पढ़ा हुआ है।

अध्यक्ष:- ठीक है। माननीय प्रभारी मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- सुनिये न। सरकार जवाब दे रही है।

श्री श्रवण कुमार:- महोदय, लख्खीसराय जिला में जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की बहाली की प्रक्रिया सरकार की अधिसूचना संख्या-61 दिनांक 5.1.2015 एवं एतद् संबंधी पत्रों

के माध्यम से निदेश के आलोक में आरंभ किया गया था। विभाग के पत्रांक संख्या-4214 दिनांक 26.5.15 में पूर्व के पत्रांक संख्या-214 दिनांक 9.1.2015 का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि दिनांक 26.1.2015 से अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। लख्खीसराय जिला में जन वितरण प्रणाली की कुल 160 रिक्तियाँ हैं, जिसमें सामान्य वर्ग-47, अनुसूचित जाति-40, अनुसूचित जनजाति-4, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-4, पिछड़ा वर्ग-23, पिछड़े वर्ग की महिला-6 के विरुद्ध आवेदन प्राप्त किये गये हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर में विज्ञापन प्रकाशित की गयी जो दिनांक 9.1.2015 को समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। आवेदन प्राप्त करने हेतु अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी को निदेश किया गया और दिनांक 24.1.2016 तक आवेदन पत्र जमा करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी। अंतिम तिथि 24.1.2016 तक अनुज्ञापन पदाधिकारी के पास कुल 926 आवेदन पत्र परिपत्र में प्राप्त हुए। आवेदन पत्रों के साथ शैक्षणिक योग्यता, आचरण प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि के अनुलग्नक के रूप में प्राप्त किये गये, बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतते हुए मूल रूप से जिले के बेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र संख्या-601 दिनांक 15.2.2007 के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की जानी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक के अनुशंसा के बाद चयन समिति को अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु विचार किया जाना है। इस जिले में अभी तक आवेदन पत्रों की जांच नहीं की गयी है, मेधा सूची तैयार करने हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक को पत्रों की जांच हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आहूत करने के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी के पत्रांक-56 दिनांक 2.2.2016 से प्राप्त हुआ है। चयन समिति की बैठक पंचायत निर्वाचन के मध्देनजर जिला पदाधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया है। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की अनुज्ञाप्ति निर्गत करने के लिए न तो आवेदन पत्र की जांच की गयी है और न ही मेधा सूची तैयार की गयी है। इससे स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञाप्ति निर्गत करने के लिए अभी आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है एवं बहाली नहीं की गयी है। बहाली की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है, तो विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- महोदय, माननीय मंत्री जी को जो सूचना भेजा गया है, डीलर के लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एस0डी0ओ0 होते हैं और महोदय मेरे पास प्रमाण है कि एक तो रोस्टर में गड़बड़ी हुई है, जो निर्धारित किया गया है रोस्टर, उसमें गड़बड़ी है,

जहाँ एक भी अनुसूचित-जाति एवं अनुसूचित-जनजाति के लोग नहीं हैं, उस सीट को अनुसूचित-जाति कर दिया गया। दूसरा महोदय कि 50 हजार जिसके बुक में टर्न ओभर का है, उसकी कॉपी माँगी गयी, जिससे कई गरीब लोग इससे वर्चित होंगे, जनसंख्या के रोस्टर को भी नजरअंदाज किया गया और हद तो तब हो गयी महोदय कि जिसका लिस्ट जिला की ओर से निकाला गया एक नम्बर में, जो एक नम्बर में बिंदेश्वर मोदी का नाम, जो अति पिछड़ा का सीट था, उस सीट पर दो नम्बर के पिछड़ा के लोगों को ले लिया गया महोदय, दो-दो लाख, डेढ़-डेढ़ लाख मार्केट के अंदर चर्चा है कि पूरा दरबार बनाकर वसूली की व्यवस्था बनायी गयी है और जब यह प्रश्न किया गया है सदन के माध्यम से, तो आज जवाब दिया जा रहा है कि आवेदन का अभी जांच ही नहीं किया गया, तो महोदय में यह कागज भेज रहा हूँ सदन पटल पर, माननीय मंत्री जी इसकी पूरी तहकीकात कर लें कि जो-जो मांगा गया, जाति का, शैक्षणिक का, एक पेज निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका यह कागज नहीं है, इसलिए आपको रद्द किया गया, यह पूरे बिहार के अंदर तहसिलदारी और जालसाजी है। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जिला स्तरीय चयन समिति में जिनको अधिकार एस०डी०ओ० को, जिलाधिकारी को और डी०एस०ओ० को दिया गया, क्या उस क्षेत्र के माननीय विधायक भी उस चयन समिति में रह सकते हैं की नहीं महोदय ताकि इसमें पारदर्शिता रहे, नहीं तो कोई इसतरह की व्यवस्था हो क्योंकि स्थानीय स्तर पर राशन, किरासन के मामले में पहले से ही एस०डी०ओ० कर्लांकित हैं, किसतरह से पूरे बिहार के अंदर वातावरण है, माननीय सदस्य पर क्यों हँसी आती है, माननीय सदस्य को चयन समिति में रखने में क्यों तकलीफ है, पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए महोदय हम कागजात दे रहे हैं, इसकी जांच करवायी जाय, आपके स्तर से इसकी जांच हो, नहीं तो कमीशनर रैंक के स्तर पर जांच हो, इसमें करोड़ों रुपये का बारा-न्यारा करने की व्यवस्था है।

अध्यक्षः- ठीक है। माननीय सदस्य जो सदन पटल पर रख रहे हैं, इसको दिखवा लीजिये।

श्री प्रहलाद यादवः- अध्यक्ष महोदय, जब अभी इसमें(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमारः- महोदय, जिनका साईन ध्यानाकर्षण में नहीं है, उनको पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री श्रवण कुमारः- महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे हैं कि चौक चौराहा पर जो चर्चा होती है, उसकी चर्चा सदन में माननीय सदस्य करते हैं.....(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा:- महोदय, दूसरे सदस्य क्यों सपोर्ट कर रहे हैं(व्यवधान)

- श्री श्रवण कुमारः— महोदय, पूरे बिहार में आरक्षण नीति लागू है, जन वितरण प्रणाली में भी यह लागू है और माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं, जो उनका आरोप है, वह बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई दम नहीं है, वहाँ नियमानुसार कार्रवाई चल रही है और नियमानुसार ही कार्रवाई चलेगी..... (व्यवधान)
- अध्यक्षः— माननीय सदस्य प्रहलाद जी बैठ जाइये न। आपका इसमें हस्ताक्षर नहीं है, आप बैठ जाइये न।

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने कुछ सूचना और कुछ कागजात दिये है, जो उनके हिसाब से गड़बड़ी है नम्बर एक और नम्बर दो कि उन्होंने जो कहा कि रोस्टर में गड़बड़ी हुई है, वे लिखकर दे रहे हैं, उसकी जांच आप करवा लीजिये।

श्री श्रवण कुमारः— ठीक है।

श्री विजय कुमार सिन्हा:- महोदय, कमीशनर स्तर से इसकी जांच करवा लें।

अध्यक्षः— ये जांच करवा लेंगे। बैठिये।

टर्नः10/कृष्ण/16.03.2016

सर्वश्री वृज किशोर विंद, अशोक कुमार एवं अन्य सात सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (शिक्षा विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

श्री वृज किशोर विंद : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा 34,540 सहायक शिक्षकों का पदस्थापन अपने गृह जिला में न कर जिले से 200-300 कि0मी0 दूर कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना वाद संख्या-297/2007 के तहत 34,540 सहायक शिक्षकों का पदस्थान अपने गृह जिले में करना है।

महिला सहायक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानान्तरण ज्ञापांक 7/स्था0-1-08/2012/281 दिनांक 07.03.013 द्वारा ऐच्छिक जिला में कर दिया गया है। परन्तु पुरुष सहायक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, पटना के पत्रांक 7/अ0-1-09/2010-13 दिनांक 05.01.15 के आलोक में आवेदन लिया गया था, पर आज तक स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

अतः : अविलंब 34,540 सहायक शिक्षकों को अपने गृह जिले में पदस्थापन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

श्री अशोक चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ जिला संवर्ग के 34,540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली,2010 अधिसूचित किया गया । उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राधिकार की देख-रेख में नियुक्ति हेतु वरीयता सूची एवं चयन सूची तैयार किया गया । चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करने के पूर्व उनसे 3 अभीक्षा प्राप्त किया गया था । महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुये जिला आवंटित किया गया । उक्त तीन अभीक्षा के अनुरूप रिक्त उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में यथासंभव गृह जिला के नजदीक जिला को आवंटित किया गया । पदस्थापन के उपरांत महिला शिक्षकों को उनके ऐच्छिक जिला में स्थानान्तरण की कार्रवाई भी की गयी । इस क्रम में 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र की मांग की गयी थी इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या -13966/2013 में दिनांक 18.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय पत्रांक 1325 दिनांक 23.11.15 निर्गत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली,2010 के आलोक में नियुक्त 34,540 कोटि के शिक्षकों का एकल स्थानान्तरण जिला के अंदर अथवा जिला के बाहर नहीं किया जायेगा । उक्त स्थिति में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्राप्त 34,540 कोटि के सहायक शिक्षकों से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया । वस्तुतः इस कोटि के सहायक शिक्षकों का प्रास्वीकृत स्थानान्तरण हो सकता है । इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी ।

लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग आये थे, कुछ का 2 साल में, कुछ का 3 साल में रिटायरमेंट हो रहा है । इसलिए विभाग नियमसंगत जो हाईकोर्ट ने इन्स्ट्रक्शन दिया है, उसके आलोक में व्यवस्था कर रही है कि हम शर्त के साथ स्थानान्तरण कर सकते हैं कि नहीं । उस पर विचार चल रहा है ।

श्री वृज किशोर विंद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया है और दूसरी चीज कि 200-300 कि0मी0 के दूरी पर स्थानान्तरण होने के चलते शिक्षा कार्य बाधित होता है, पठन-पाठन में काफी परेशानी होती है ।

शिक्षकों को आने-जाने में भी परेशानी होती है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें और यह बतलाने की भी कृपा करें।

श्री अशोक चौधरी : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 34,540 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इन बिटविन जब हमलोगों ने ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू किया, अप्पायंटमेंट लेने के लिये कि हमलोग इनका ट्रांसफर कैसे करें, ये लोग हाईकोर्ट गये। हाई कोर्ट का जो आदेश है, वह हम सदन में पढ़ सकते हैं।

श्री अशोक चौधरी : हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 18.03.2015 को।

अध्यक्ष : ऑपरेटीव पार्ट सिर्फ बता दीजिये।

श्री अशोक चौधरी : जी अच्छा। The Power of transfer of Govt. Servant lies within the executive do mate and can be rarely interfered by court that do on the limited ground on the being either contrary rules of the nullified.

इसलिए यह पूरी तरह से सरकार को था कि इसको हम कर सकते हैं। हमलोगों ने प्रयास किया है। शिक्षकों के मनोबल को हमलोग बढ़ाना चाहते हैं। चाहते हैं कि गुणवर्तपूर्ण शिक्षा बहाल हो। हमलोग उस पर देख रहे हैं। हम समझते हैं कि एक-दो महीने के अंदर इस पर उचित निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष : इसको देख भी लेना चाहिए।

प्रस्ताव

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

‘बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-169, 173(3), 176(2), 176 (6), 237 (2), 237 (3), 240 (2), 240 (3), 241 (क) (1), 241 (क) (2), 287 (3) एवं 288 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित घोड़श बिहार विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था। नियमावली के नियम 287 (3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपलब्ध किया जाय।’

अध्यक्ष :

प्रश्न यह है कि -

‘बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-169, 173(3), 176(2), 176 (6), 237 (2), 237 (3), 240 (2), 240 (3), 241 (क) (1), 241 (क) (2), 287 (3) एवं 288 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित घोड़श बिहार विधान सभा की नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2016 को सदन पटल पर रखा गया था। नियमावली के नियम 287 (3) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपलब्ध किया जाय।’

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

याचिका का उपस्थापन

सभा सचिव :

श्रीमान् बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 53 याचिकायें प्राप्त हुई हैं।

अध्यक्ष -

अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है।

टर्न-11/सत्येन्द्र/16-3-16

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

वित्तीय कार्य

अध्यक्षः परिवहन विभाग विभाग के अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	59 मिनट
जनता दल(यू०)	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	20 मिनट
सी०पी०आई०(एमएल)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	02 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री परिवहन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री चन्द्रिका रायः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च,2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 55,75,82,000/- (पचपन करोड़ पचहत्तर लाख बेरासी हजार)रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।’

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्षः इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, डॉ० सुनील कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथिलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी का प्रस्ताव प्रथम

है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटाई जाय,
राज्य सरकार की परिवहन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।”

अध्यक्ष महोदय, यह कटौती प्रस्ताव जो है वह ऐसे ही औपचारिकता के नाते नहीं है इसके ठोस कारण हैं। आप जरा देखिये अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय को बुलेटिन में डाल दिया गया है और प्रधानता परिवहन विभाग को दिया गया है जबकि इस परिवहन विभाग की भी हालत बिल्कुल खास्ता है। यहां कहावत है- आंख के अंधे काम नयन सुख। बिहार राज्य पथ निगम की दिशा और दशा को सुधारने में सरकार सदा उदासीन रही है। एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ 2014 में 140 बस चल रही थी वहीं आज वह 118 पर आ गया है। महोदय, ये संख्या बढ़नी चाहिए। कभी भी सरकारी बस और उस पर जनता न विश्वास करती है न उस पर जाती है और उसका उदाहरण है, इसका कारण है कि लगातार उसमें घटेतरी हो रही है। इसी तरह 2014-15 में जहां 457 बसें पी०पी०पी० मोड के तहत निगम द्वारा चलायी जा रही थी वह आज घटकर 337 हो गयी है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अगर हम बात करें तो सरकार ने घोषणा किया था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कितना प्रतिशत अबतक उसमें लगा या नहीं लगा और पूर्ण कबतक होगा? हुजूर, 2015 तक औरंगाबाद में व्यवसायिक चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया था। स्थापना का निर्णय होने के बाद वह बनकर तैयार हो गया और उस पर ट्रेनिंग हो रही है क्या? यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है। हुजूर, राज्य सरकार द्वारा डी०एल० ऑनर बुक को पूरी तरह अद्यतन नहीं कराया गया और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है हमारे बिचौलिये उसमें हुजूर जो है पूरा भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ है।

अध्यक्ष: अरूण बाबू, आप अपने लिए 2 मिनट का समय निर्धारित किया है।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: अच्छा 2-3 प्वायंट और रखेंगे। राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग में हुजूर आधा पैसा तक खर्चा नहीं किया और अभी नया बजट लाने का क्या मतलब है? साथ ही साथ हुजूर इस तरह से परिवहन निगम के बस अड्डों का भी बुरा हाल है और राज्य सरकार परिवहन विभाग में कर वसूली भी ठीक नहीं कर पा रही है। यह सफेद हाथी बनकर रह गया है और अंत में जो

हमारा विधान-सभा क्षेत्र है पटना नगर, उसमें स्टेशन से भाया नाला रोड होते हुए बाजार समिति तक दूसरा स्टेशन से कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड होते हुए हनुमान नगर तक और भूतनाथ रोड से स्टेशन तक बसों का परिचालन बहुत आवश्यक है और अंत में मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो परिवहन विभाग है जो प्वायंट्स है अगर इसका सही उत्तर मंत्री जी नहीं देते हैं तो यही कहना होगा कि शरीर के पिल्लई और नाम बरियार सिंह। यही कहकर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम कुमार: महोदय, खंड-8 में चार विभागों को दिया गया है उमसें परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पर चर्चा हमलोग कर रहे हैं। महोदय हमारे सदस्यों को आपने 39 मिनट का समय दिया है। हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि पहली बार बिहार के इतिहास में स्वास्थ्य विभाग जिससे राज्य के करोड़ों जनता जुड़ा हुआ है उसको बुलेटिन में किया गया है लेकिन हमारे सदस्य बोलेंगे स्वास्थ्य पर ही इसलिए हम आग्रह करेंगे महोदय सरकार से कि परिवहन मंत्री जी के जवाब के साथ स्वास्थ्य मंत्री जी का भी जवाब हो ताकि जो हमारे माननीय सदस्य मुद्रा उठायेंगे उस पर जवाब मिल सके।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार: ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आप ऐसे लोग को मंत्री बना रहे हैं जो बोल नहीं सकते हैं विषय को रख नहीं सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते हैं और आप उनका पक्ष ले रहे हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आज के 39 मिनट में हम स्वास्थ्य में कमियों स्वास्थ्य घोटालों और स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, दबा नहीं मिल रहा है उस पर हमारे सदस्य बोलेंगे और सरकार से संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री सदन में आये और उस पर जवाब दें।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल काफी परिपक्व नेता है और जिन सवालों को माननीय विरोधी दल उठा रहे हैं। ये लम्बे समय से इस तरह की व्यवस्था सरकार में रही है कि किस विभाग पर डिमांड आयेगा किस पर नहीं आयेगा वो तय किया जाता है। जब तय हो गया तो ये सवाल खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है महोदय और माननीय नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को मंत्री बना दिये हैं जो बोल नहीं सकते हैं तो महोदय क्या नेता विरोधी दल से परामर्श कर के मंत्री बनाये जाते हैं, यह तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कौन मंत्री रहेगा और कौन मंत्री नहीं रहेगा। माननीय नेता विरोधी दल से

आग्रह है कि वो अपने अनुभव का इस्तेमाल उन प्रश्नों को करने के लिए लाईए जो जनता के हित का हो। इन सवालों में उलझा कर माननीय विरोधी दल सदन को हल्का नहीं करे।

श्री प्रेम कुमार: मुख्यमंत्री जी का अधिकार महोदय है इस पर हम भी सहमत हैं, हम डिफर नहीं कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आये और हमारे मेम्बर जो स्वास्थ्य पर बोलेंगे.....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग के प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर परिवहन विभाग के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाया गया है बुलेटिन के साथ और परिवहन विभाग को प्राथमिकता दी गयी है।(क्रमशः)

टर्न-12/मधुप/16.3.16

श्री विजय कुमार सिन्हा : ..क्रमशः... हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सुना जाय ।

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, गिलोटीन के तहत स्वास्थ्य विभाग, सूचना जन सम्पर्क विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये सभी विभाग हैं, परिवहन विभाग को सरकार के विशेषाधिकार के तहत लाया गया है। लेकिन माननीय सदस्यों को सदन के अन्दर यह जानने का हक है कि परिवहन विभाग का वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र 55.76 करोड़ का बजट है जबकि स्वास्थ्य विभाग का बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8234 करोड़ है..... (व्यवधान) महोदय, ये सीनियर सदस्य हैं, इस तरह से घबराहट में ये क्यों हैं ? महोदय, हमारे समय की कटौती नहीं की जाय । इस तरह से हमारे समय की बर्बादी कर रहे हैं । आप पूर्व मंत्री रहे हैं, हम माननीय अध्यक्ष से कहेंगे कि ये सदन की गरिमा को बरकरार रखें ।

अध्यक्ष : विजय जी, आप बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, आधा से अधिक हमारे नये सदस्य बैठे हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर किस कारण

से 55.76 करोड़ परिवहन के बजट पर बहस करायी जा रही है लेकिन 8234 करोड़ पर क्यों डिबेट नहीं हो रहा है ? अध्यक्ष महोदय, हमारा बिहार आजादी के समय काफी स्वस्थ था, यहाँ का स्वास्थ्य और यहाँ की विधि व्यवस्था, हर मामले में हमारा बिहार अब्बल था लेकिन ज्यों-ज्यों आजादी का समय आगे बढ़ता गया, हमारा बिहार कई बीमारियों से ग्रसित हो गया । आज कई तरह की बीमारी इस बिहार को ग्रसित किया.. (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति-शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : जो लोग इस बिहार को स्वस्थ करना चाहते हैं, हम तो अपने तमाम नये सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि हमारी-आपकी-सबकी जिम्मेवारी है कि हमारा बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़े । आप परिवहन विभाग की चर्चा मात्र 55.76 करोड़ के बजट पर कराना चाहते हैं, एक डाइविंग लाइसेंस के लिए हम अपने जिला के अन्दर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करा पाये । कौन जिम्मेवार है ? (व्यवधान) बता रहे हैं, आगे चर्चा में आ रहे हैं । आप यह बता दें कि कॉमर्शियल व्हेकिल के लिए आपके पास प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है ? अध्यक्ष महोदय, आज सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत बिहार के अन्दर होती है.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप इस तरह से आपस में टोका-टोकी करेंगे तो किसी की बात नहीं सुनी जा सकेगी । अभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, हर दल के सदस्य को बोलने की बारी आयेगी, जो अपना ख्याल-विचार रखना हो, उस समय रखियेगा। आपस में टोका-टोकी करियेगा तब न तो इनकी बात सुनी जायेगी और न आपकी बात सुनी जायेगी । इसलिये सब लोगों को बोलने का मौका दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विजय कुमार सिन्हा जी काफी सीनियर मेम्बर हैं लेकिन जब नये मेम्बर उठकर खड़े होते हैं किसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए तो उनकी बात ये नहीं सुनते हैं । इसीलिये नये मेम्बरों ने इनको टारगेट किया है कि इनको भी बोलने नहीं देंगे और सब विषय की भी शायद इनको जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी श्री विजय कुमार सिन्हा जी को बोलने दीजिये, आपलोग ध्यान से सुनियेगा, जब आपके सदस्य भी बोलेंगे तो ये ध्यान से सुनेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं और माननीय अपने नेता को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के अन्दर परिवहन की गति बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि बिहार स्वस्थ हो । हमारा बिहार कई बीमारी से ग्रसित था । यहाँ पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, नरसंहार रूपी बीमारी से बिहार

ग्रसित था । उस बिहार में एन0डी0ए0 गठबंधन के अन्दर जिस तरह से बीमारी दूर की गई, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अन्दर, आज एक उदाहरण देकर बताना चाहेंगे कि उस बिहार के अन्दर में..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिये न !

श्री विजय कुमार सिन्हा : आज उस बिहार के अन्दर लखीसराय सदर अस्पताल में चिकित्सक के 114 पद हैं लेकिन उसमें मात्र 25 चिकित्सक कार्यरत हैं । अल्द्यासाउंड मशीन वहाँ गया हुआ है, उसको चलाने वाला डॉक्टर नहीं है, वह बेकार पड़ा है । आई0सी0यू0 की व्यवस्था नहीं है । महोदय, आज हम वैसे माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि जिस जनता के बोट से जीतकर आते हैं, आई0सी0यू0 अस्पताल के अन्दर नहीं है, आई0सी0यू0 रहता तो गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, नौजवानों की जिन्दगी बचा सकते थे । महोदय, सदर अस्पताल में आज सोलर लाइट नहीं रहने के कारण अल्द्यासाउंड काम नहीं कर रहा है । जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का बुरा हाल है । सरकारी अस्पतालों में बी0पी0एल0 कार्डधारी मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है । हम तो कहना चाहेंगे कि इस बिहार को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी.... (व्यवधान)

अध्यक्ष : समीर जी, बैठिये न ! बोलने दीजिये । आपकी बारी आयेगी तो आप भी बोलियेगा।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कई बीमारी से ग्रसित लोगों की बेचैनी और छटपटाहट समझ में आती है, ये लोग बेचैन होंगे क्योंकि इसी स्वास्थ्य विभाग के अन्दर पिछले बार घोटाला हुआ था, 15वीं विधान सभा में सदन बाधित हुआ था, उस घोटाला के जाँच की हमलोग माँग करते रहे ।

महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग के अन्दर, माननीय विधायक बैठे हैं, हर जिला के अन्दर जिला स्वास्थ्य निगरानी समिति है, माननीय सदस्यों को उस निगरानी समिति में क्यों नहीं रखा गया ? माननीय सदस्य अगर उस निगरानी समिति में रहते तो अपने क्षेत्र का, अपने जिला के स्वास्थ्य कमिटी को बेहतर करने का उनका सुझाव आता । सभी माननीय विधायक आज कोई भी अपने जिला के स्वास्थ्य निगरानी समिति में सलाह तक नहीं दे पाते हैं । आज वे चाहकर उसके व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी भागीदारी नहीं कर पाते हैं । महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि आप यदि माननीय विधायक का सम्मान करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य निगरानी समिति में माननीय विधायक को आप मेम्बर बनायें, उनकी भी भागीदारी करें । अगर आप बिहार को पूर्ण स्वस्थ करना चाहते हैं तो माननीय सदस्यों

को क्यों सम्मान नहीं देना चाहते हैं ? इनके सुझाव को क्यों ग्रहण करना नहीं चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच नहीं है कि बिहार के अस्पताल के अन्दर जब जाते हैं तो प्राथमिक उपचार की जो सामग्री है, वह भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सच्चाई है कि एक्सीडेंट होता है, ब्लड बह जाता है, ब्लड के बिना मौत हो जाती है। आज आपके माध्यम से ब्लड दान का एक अभियान चलना चाहिये और विधायक के माध्यम से एक संदेश भी जाना चाहिये । हर विधायक एक लाख से ऊपर, दो लाख, तीन लाख लोगों का अलग-अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जिन्दगी की रक्षा करना हमारी और माननीय सदस्यों की, सभी की जिम्मेवारी है । महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग के अन्दर में जो वातावरण बन रहा है, आज जॉच के नाम पर जो वातावरण फैलाया जा रहा है, गलत काम करने वाले को पूरी सजा मिलनी चाहिये, उसे बख्शाना नहीं चाहिये ।

....क्रमशः....

टर्न-13/आजाद/16.03.2016

श्री विजय कुमार सिन्हा : (क्रमशः) लेकिन जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उसे सम्मानित करना चाहिए । चाहे डॉक्टर हो, चाहे उससे जुड़े हुए लोग हो, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे प्रतिभा का पलायन होता है । यहां से हमारे अच्छे डॉक्टर चले जाते हैं । होस्पीटल के अन्दर उसका अपमान होता है, परिणाम है कि डॉक्टर लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाना पसन्द करते हैं। आज क्या कारण है कि अच्छे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, आज गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । आज क्या कारण है

अध्यक्ष : आप 2 मिनट में समाप्त करिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, हमारा समय तो लिया गया । माननीय मंत्री जी को बहुत ज्ञान है, ये समय मेरा बर्बाद कर रहे हैं । स्वास्थ्य निगरानी विभाग में हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, सारे विधायक को स्वास्थ्य निगरानी समिति में सदस्य बना दें । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वे बिहार को कैसे स्वस्थ रखेंगे । अगर बिहार को स्वस्थ करना है तो स्वस्थ मंत्री को लाना होगा । बिहार

के प्रति अगर समर्पण का भाव है तो स्वस्थ मंत्री के रूप में काम करना होगा । आप इस बिहार को बीमार क्यों रखना चाहते हैं । बिहार को बीमारु बिहार क्यों बनाना चाहते हैं ? बीमारु बिहार से बिहार को मुक्ति मिले । महोदय, हम आग्रह करेंगे कि इस बिहार के अन्दर एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायें । सेंट्रल के द्वारा आज बहुत सारे स्कीम दिये जा रहे हैं, एन0जी0ओ0 के माध्यम से बहुत सारा कार्य किया जा रहा है लेकिन घोटाले के कारण, यहां के लोगों के भ्रष्टाचार व्यवस्था के कारण उसका लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है । आज स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड लोगों को नहीं मिला, अगर लोगों को स्वास्थ्य कार्ड मिलता तो आज लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता और इसका लाभ गरीब, मजदूर, किसानों को मिलता । महोदय, आम लोग स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के माध्यम से सेंट्रल का लाभ उठाते, उसमें हमारी भागीदारी होती और उस भागीदारी में सबसे ज्यादा लाभ गरीब, मजदूर, किसान उठाते । महोदय, हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है - हेल्थ इज वेल्थ, जो व्यक्ति स्वस्थ है, वही जीवन है । स्वास्थ्य आज इतना महत्वपूर्ण विभाग है और उसको आज नजर अंदाज कर देना, यह साबित करता है कि ये बिहार को अस्वस्थ रखना चाहते हैं । इस सरकार की मंशा अस्वस्थ है । यहां के स्वास्थ्य मंत्री कहीं न कहीं अस्वस्थ हैं । इस बिहार को स्वस्थ करने की जिम्मेवारी सभी माननीय सदस्यों को है और बिहार को स्वस्थ करने के लिए हमलोग स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता देंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं और सब लोग टोका-टोकी करियेगा तो किसी की बात नहीं सुनी जायेगी । जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, न उनकी बात आपके कारण सुनी जायेगी और जो आप बोल रहे हैं, वह भी दूसरों के कारण नहीं सुनी जायेगी । इसलिए कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए । अगर उसमें आपको कुछ कहना है तो उस समय जब मौका आयेगा, तब बोलियेगा ।

श्री मो0 नवाज आलम । आप 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

डॉ0 रविन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : किस नियम के तहत व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है ?

डॉ0 रविन्द्र यादव : बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बिहार से जो एम0बी0बी0एस0 किये हुए हैं और वे एम0सी0आई0 क्लीयर कर लिये हैं, वे यहां पी0जी0 के एक्जाम में नहीं बैठ सकते हैं

अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न तब होता है, जब सदन के लिए जो व्यवस्था स्थापित है, उसकी जो प्रक्रिया, कार्य संचालन नियमावली है, उसके उल्लंघन की कोई बात होती है तब व्यवस्था का प्रश्न होता है। आप अपना सुझाव सरकार को दे दीजियेगा।

श्री मोरो नवाज आलम, आप 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री मोरो नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके अनुमति से परिवहन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति, सदन के नेता के प्रति और आरा के तमाम जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपकी अदालत में एक शेर बोलकर बजटीय भाषण शुरू करना चाहता हूँ।

अभी कुछ साथी हमारे गार्जियन अरूण बाबू बोल रहे थे, विजय बाबू बोल रहे थे हमारी मंशा के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर तो हमारे महागठबंधन के इरादे साफ होते हैं, इसलिए कि सामाजिक न्याय के विरोधी लोग इसके खिलाफ होते हैं। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले परिवहन विभाग का जो हृदय कहिए, उनकी सांस कहिए, राजस्व की जो वसूली होती है राजस्व संग्रह की, उस राजस्व संग्रह के मामले में बिहार अनेक राज्यों के वनिस्पत लगातार वृद्धि करता रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 21.3 प्रतिशत वृद्धि रहा और वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसम्बर तक 771.27 करोड़ रु० राजस्व की वसूली हुई।

(इस अवसर पर श्री राम नारायण मंडल, स०वि०स० ने सभापति महोदय का आसन ग्रहण किया)

अगले वित्तीय वर्ष में 2016-17 में हमलोग 1500 करोड़ रु० राजस्व की वसूली का लक्ष्य रखते हैं। इसी तरह महोदय, वाहन के निबंधन के मामले में एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए वाहन का जो निबंधन होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन को कैसे पारदर्शी करें, उसको कैसे सरजमीं पर उतारने का काम करें, कैसे उसको कम्प्यूटराईज्ड करने का काम करें, उनमें भी हम तुलनात्मक 2015 के वनिस्पत 5,19,556 वाहनों का निबंधन किया गया है। हम अरूण बाबू को बताना चाहते हैं, विजय बाबू को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप सरकार के आईना में आप समझने का कोशिश करें। अगर निबंधन के माध्यम से हमलोग राजस्व की वसूली करते, हमलोग ज्यादा से ज्यादा निबंधन करते, इससे पता चलता है कि रोड

की व्यवस्था सही है, दूसरी व्यवस्था सही है । सरकार का जो 7 निश्चय था, इस मामले में हमारी सरकार कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है । इसलिए इस बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ । आगे हमलोग इसमें जाँच का व्यवस्था किये हैं । जाँच करने का मकसद यह था कि जो छोटी-छोटी चौकियां थी अवैध वसूली की, सरकार ने अवैध वसूली पर रोक लगाकर बिहार सरकार के राजस्व की कैसे भरपाई हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा बिहार तरक्की करे, उन मामले में हमलोगों ने यह कदम उठाने का काम किया था । इन्टरनेट के माध्यम से वाहन का कर भुगतान का सुविधा सरकार ने दिया है । यह एक सराहनीय कदम है । जो इन लोगों के सामने आईना है । आधुनिक जिला परिवहन में सुविधा केन्द्र का निर्माण जैसे मुजफ्फरपुर में हमलोगों ने किया, रोहतास में किया, कैमूर आदि जगहों पर किया है । महोदय, आज उसी का परिणाम है कि तमाम जगहों पर जनता को परिवहन सुविधा मिल रही है । चालक प्रशिक्षण शोध संस्थान की स्थापना यह एक उपलब्धि का विषय है । इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के मामले में महिलाओं को निःशुल्क वाहन निबंधन की छूट दी गई है । उसी का परिणाम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है । महिलाओं को जब आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के परोधा लालू यादव ने राबड़ी देवी को सरजर्मीं पर बिहार के धरती पर पहला मुख्यमंत्री बनाने का काम किया तो वही एक सोच थी, उसी सोच को हमलोग आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम कहना चाहते हैं और हम यहां तमाम साथियों को सलाह देना चाहते हैं, सपना वह सपना नहीं होता, माननीय लालू यादव ने बहुत पहले यह सपना दिखाया था कि सपना वह सपना नहीं होता, जो रात में सोने के वक्त देखी जाती, सपना वह होता है, जो निन्द को सोने नहीं देती । डॉ ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने कहा था महोदय, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आदरणीय लालू यादव ने वह सपना जो बहुत पहले 1990 में जगाया था, वह आज सरजर्मीं पर उतरने का काम हो रहा है । इसलिए निःशक्त जनों को करों में छूट की व्यवस्था की गई है और सड़क सुरक्षा बढ़ाने का काम किया गया है । सड़क सुरक्षा के नाम पर जिला में सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया । यह एक आईना है महोदय ।

टर्न-14/अंजनी/दि० 16.03.16

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, शांत रहिए । प्लीज बैठिए । माननीय सदस्य बैठ जाइए । शांति बरतें ।

(व्यवधान)

विजय जी बैठिए ।

(व्यवधान)

अरूण जी बैठिए । प्लीज बैठिए ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के बीच में चले आये)

आप लोग बैठ जाइए । प्लीज मेरी बात सुनिए । अपनी-अपनी सीट पर बैठकर अपनी बात बोलिए । माननीय सदस्यगण, मेरी बात सुनिए आप । प्लीज मेरी बात सुनिए । अपनी-अपनी सीट से अपनी बात बोलिए । किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि किसी को अपमानित करें । आपलोग माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, किसी भी व्यक्ति को, किसी सदस्य को अपमानित करने का अधिकार नहीं है । कृपया आपलोग अपनी-अपनी सीट पर जाइए । एक आदमी अपनी बात रखियेगा । कृपया बैठिए । माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनिए । संजय सरावगी जी, मेरी बात सुनिए । अपनी-अपनी सीट पर चलिए । किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है अपमानित करने का । आप लोग बैठिए कोई किसी को अपमानित नहीं करेगा । बैठिए प्लीज । माननीय सदस्य आप बोलिए ।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए । मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि कोई भी सदस्य किसी सदस्य को अपमानित नहीं करेगा । कोई ऐसा नहीं करेगा ।

किन्ही को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आप बैठिए। माननीय विरोधी दल के नेता खड़े हैं, पहले आप लोग बैठ जाइए।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये)

विरोधी दल के नेता खड़े हैं, आप बैठिए।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जिस तरह का माननीय सदस्य ने आचरण किया है, जिस तरह से उन्होंने धमकी देने का काम किया और जो इन्होंने आचरण किया है, इससे माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंची है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि माननीय सदस्य माफी मांगें।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : पहले आप लोग शांत हो जाइए।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मेरा आसन से आग्रह है कि माननीय सदस्य ने बोलने के क्रम में जिस तरह का व्यवहार एवं आचरण किया है, उसके लिए वे माफी मांगे महोदय। माफी मंगवाया जाय।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : मेरी बात सुनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर इस प्रकार की बातें आयी हैं तो उन बातों को प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा, इसलिए ...

श्री प्रेम कुमार : आप माफी मंगवाइए, इसमें क्या दिक्कत है, यदि इन्होंने ऐसा आचरण किया है।

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय विजय जी, आपके नेता खड़े हैं, बैठिए।

श्री प्रेम कुमार : मेरा आग्रह आसन से है कि जिस तरह की बात सदन में आयी है, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वे खड़े होकर खेद प्रकट कर दें, माफी मांग लें, बात खत्म हो जायेगी।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, अरूण जी

(व्यवधान)

श्री अरूण कुमार सिन्हा : उन्होंने इस बीच में नोक झोंक शुरू किया, माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे और इसी बीच उन्होंने नोक झोंक शुरू किया और यह इशारा किया कि तुमको ठीक कर देंगे। इस तरह से महोदय सदन का अपमान किया गया है।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, आपलोग सुनिए।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : थोड़ी शांति बरतें आपलोग। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : सदन में कोई भी अप्रिय घटना लोकतांत्रिक परम्परा के प्रतिकूल है, जो कुछ भी सदन में हुआ, वह नहीं होना चाहिए। अगर किसी माननीय सदस्य ने चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, इस तरह की बातों को कहा, वह खेदजनक है। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाय। आपस में एक दूसरे के साथ हैं हमलोग, चुनाव लड़ना अपनी जगह पर है, हमलोग बिहार के लोग हैं, इस तरह की घटना नहीं हो, खेदजनक स्थिति से हमलोगों को बचना चाहिए। अब हो गया।

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : नारायण जी, आप तो बैठिए। आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप बैठिए। देखिए, सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री लंबे दिनों की राजनीति के अनुभव प्राप्त व्यक्ति श्री विजेन्द्र यादव जी ने जिन बातों को आपके सामने रखा है, उन्होंने यह बात फील किया और मुझे तो यह नहीं पता कि क्या उन्होंने कहा है लेकिन उनको भी उत्तेजना में नहीं आना चाहिए था। सरकार की ओर से जब उन्होंने यह बात कह दी तो मुझे लगता है कि अब आगे शार्तिपूर्ण सदन चले।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, न कोई मीडिया में जायेगी। लेकिन इस तरह का व्यवहार किसी भी माननीय सदस्य का नहीं हो, इसकी चिन्ता की जाय। मुझे लगता है कि जब सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जो बातें आयीं, उसके बाद अब सदन को शार्तिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए।

(व्यवधान)

जहांतक खेद प्रकट करने की बात है, प्लीज आप बैठ जाइए। बैठिए। बिना इजाजत के कोई भी माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अब तो हो गया।

(व्यवधान)

टर्न-15/शंभु/16.03.16

(व्यवधान)

मो0 नेवाज आलम : सभापति महोदय, हमलोग परिवहन विभाग के बजट पर चर्चा कर रहे थे। सरकार ने जो अनेकों काम किये हैं उन तमाम कामों के उपर जो बजट में लाने का काम किया गया। उन चीजों के समर्थन के लिए हम खड़े हुए थे।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया।

मो0 नेवाज आलम : महोदय, मेरा समय तो कट गया, थोड़ा पूरा कर लेने दीजिए।

सभापति(श्री राम नारायण मंडल): नहीं-नहीं, देखिए, जितना आपको समय देना था उससे ज्यादा मिल गया।

मो0 नेवाज आलम : सर, मेरा कन्कलूड तो कर लेने दीजिए। महोदय, अधिष्ठान का- गंगा नदी पर बाहरी बड़े वाहन चलते थे तो उन वाहनों को कहीं न कहीं रोकने का काम इस अधिष्ठान के माध्यम से किया जाता था। वाहन प्रदूषण के मामले में वाहन प्रदूषण नियंत्रण का मामला हमलोग उसके जरिए तमाम जो पोल्युटेड ऐरिया थे और उनपर कहीं न कहीं रोकने का काम किया, जहां 132 जॉच केन्द्रों को अनुज्ञित दी गयी। इसी तरह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में हमलोग सुदृढ़ करने के लिए 118 बसों को मंगाने का काम किये। महोदय, आपके सामने हमलोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए सदन के बेल में आ गये।)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम आरा शाहाबाद सबसे पुराना बस डिपो है। उसमें मात्र 5 बस गाड़ियों की संख्या है एवं उसमें डीपो के रख-रखाव का काम किया जाय। पटना के तर्ज पर जी0टी0 रोड में छात्रों के लिए विशेष बस चलायी जाय। एम0वी0आइ0 भवन का निर्माण कराया जाय। इस डिपो में जितने कर्मचारी हैं वह लगभग एक साल बाद रिटायर हो जायेंगे। वहां चपरासी के पद पर एक भी कर्मचारी नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहां नये सिरे से कर्मचारी की नियुक्ति की जाय। अन्य राज्यों में एजेंट लाईसेंस है जबकि आरा में यह व्यवस्था नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से इन तमाम चीजों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इसलिए परिवहन बजट के पक्ष में आपने बोलने का मौका दिया। इन तमाम चीजों के लिए आपको सदन के तरफ से आसन को और पार्टी के नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। महोदय, सरे महफिल जो बोलूँ तो जमाने को खटकता हूँ, रहूँ चुप तो बगावत मार देती है। इसलिए महोदय, मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयहिन्द।

(व्यवधान)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : अब सभा की कार्यवाही 3 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-16/अशोक/16.03.2016

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रामनारायण मंडल ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति(श्री राम नारायण मंडल) : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही साढ़े तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-16/अशोक/16.03.2016

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

माननीय सदस्यगण, आप सब अभी यहां थे, उस समय सदन में कुछ अप्रिय बातें हुई और आप सब साक्षी हैं, पूरा सदन साक्षी है, मैं इसीलिए आप सब को आगाह करता रहता हूँ कि अगर आपस में टोका-टोकी की स्थिति बनेगी, चलेगी, अगर कोई सदस्य बोल रहे हैं, दूसरे टीका-टिप्पणी करेंगे, आपस में बात करेंगे तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जा सकती है। इसलिए मैं बराबर आप सब को इस संबंध में आगाह करता रहता हूँ। जो भी हुआ वह खेदजनक है, मैं तो आसन पर नहीं था, लेकिन जो भी हुआ, उस समय जो बातें हुई, संज्ञान में आई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैंने दोनों माननीय सदस्यों से बातें की हैं, जिन दोनों के बीच में आपस में बात हुई थी। माननीय सदस्य श्री शम्भूनाथ यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री शम्भू नाथ यादव : महोदय, पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं सदन को सलाम करता हूँ और उस शख्स को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने हमे सिपाही से उठाकर सदन तक पहुँचाने का काम किया।

महोदय, यदि इन लोगों की मंशा है कि शम्भू माफी मांगेगा, माफी मैं बीस बार मांग लेता लेकिन यदि हमारे माफी मांगने से इस तरह का टीका-टिप्पणी बंद हो जाये तो मैं दो बार माफी मांगता हूँ कि इस तरह का गलती मैं नहीं करूँगा।

अध्यक्ष : चलिये ठीक है।

श्री शम्भू नाथ यादव : लेकिन ये टीका-टिप्पणी महोदय, मेरा आग्रह है सदन से....

अध्यक्ष : चलिये। जो उस समय सदन में जो कुछ हुआ वह न तो प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनेगा, न कहीं मीडिया में जायेगा और एक बार फिर जो घटना, दुर्घटना हई, उसके परिप्रेक्ष्य में सदन के सारे माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया दूसरे के बोलने के समय टीका-टिप्पणी नहीं करें। अगर आप अपना भाषण, अपनी बात-सदन से उम्मीद करते हैं कि वह शांतिपूर्वक सुने तो वह अधिकार दूसरे माननीय सदस्यों का भी है। आप वहां पर लिखा हुआ है पढ़ लीजिए कि “भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्म-नियंत्रण है”, स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता है कि आप जिस समय चाहिए बोलिए। सदन की भी नियम प्रक्रिया है, आसन की अनुमति से बोलते हैं, प्रायः ऐसा देखता हूँ कि आसन किसी माननीय सदस्य को अनुमति देता है तो दूसरे कई माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोलने लगते हैं। अगर आप वैसा

करते हैं तो सदन में अव्यवस्था फैलाने में आप की भी भूमिका बन जाती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्य, इस सदन की उच्च परम्पराओं के निर्वाह के लिए भविष्य में आसन की इजाजत से ही बोलेंगे और जो माननीय सदस्य आसन की इजाजत से बोलेंगे तो दूसरे सभी माननीय सदस्य गंभीरता से और शांतिपूर्वक उनका सुनेंगे। अगर किन्हीं को अपनी बात कहनी है तो आसन की इजाजत से। आसन तो सब को मौका देता है, सभी दल को मौका मिलता है। सभी माननीय सदस्य, जो भी बोलना चाहते हैं बोलें। अपनी स्वतंत्रता तो जरूर कायम रखिये लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना होता है। अब विचार-विमर्श जारी रहेगा। जनता दल (यू.) के श्री सत्यदेव सिंह।

श्री सत्यदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा, मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं परिवहन विभाग की मांग संख्या-47 जो पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, भारत में रेल सेवा जो हैं वह दुनिया में सबसे बड़ा है और रेल मार्ग से.....

अध्यक्ष : आपको सत्यदेव जी, 8 मिनट में अपनी पूरी बात कह लेनी होगी इसलिए जो-जो कहना है कह डालिये क्योंकि काफी समय सदन का चला गया है।

श्री सत्यदेव सिंह : महोदय, परिवहन का भारी महत्व है राज्य में। पहला नेटवर्क रेल का है और उसके बाद परिवहन का है और परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़क और पुल का भारी महत्व है। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, तब से पुलों का जाल बिछ गया है। पूरे बिहार में 14 हजार बड़े पुल बने हैं और सब छोटे पुलों को मिला दिया जाय तो 33 हजार हो जाता है। इतना बड़ा विकास आजतक बिहार में कभी नहीं हुआ था, बिहार में ही नहीं देश के सभी राज्यों से बिहार में ज्यादा विकास हुआ है इसलिए विकास का पैमाना होता है सड़क और पुल। बिहार में सड़कों का जाल बिछा, सुन्दर सड़कें बनी और बन रही है, जिससे परिवहन विभाग को काफी सहूलियत हो रही है।

परिवहन विभाग राज्य का एक प्रमुख राजस्व संग्रहकर्ता विभाग है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के बीच राजस्व संग्रहण में राजस्व वृद्धि का दर औसतन 21.3 प्रतिशत रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्धारित लक्ष्य रु0 1000 करोड़ के विरुद्ध रु0 966.46 करोड़ की वसूली की गई जो पूर्व वर्ष से 15.7 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 1350 करोड़ राजस्व संग्रहण की वसूली का लक्ष्य निर्धारित है तथा दिसम्बर, 2015 तक रु0

771.27 करोड़ की राजस्व वसूली हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 1500 करोड़ रु0 का राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित करने के प्रस्ताव है।

वाहनों का निबंधन भी पहले से काफी अधिक बढ़ा है। वर्ष 2009-10 में जहां मात्र 3,27,433 वाहनों का निबंधन हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह संख्या बढ़कर 6,14,200 वाहनों की हो गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2015 तक 5,19,556 वाहनों का निबंधन हो चुका है। निर्बंधित वाहनों की संख्या में वृद्धि का मुख्य श्रेय राज्य में हो रहे आर्थिक विकास, विविध व्यवस्था में सुधार एवं सड़कों की दशा में गुणात्मक सुधार है।

समेकित जांच चौकी की व्यवस्था राज्य के प्रमुख स्थानों पर की गई है। राज्य के प्रवेश मार्गों यथा डोभी(गया), रजौली (नवादा), कर्मनाशा (कैमूर), जलालपुर (गोपालगंज), दालकोला(पूर्णिया) तथा बक्सर में समेकित जांच चैकियाँ कार्यरत हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है तथा अवैध वाहनों के परिचालन पर रोक लगी है।

महोदय, आधुनिक जिला परिवहन सुविधा केन्द्रों का भी निर्माण हुआ है। नागरिकों की सुविधा हेतु तथा जिला परिवहन कार्यालयों के दक्षता बढ़ाने के क्रम में राज्य के सभी जिलों के जिला परिवहन कार्यालय-सह-परिवहन सुविधा केन्द्रों के भवन निर्माण की जा रही है। क्रमशः

टर्न-17-16-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री सत्यदेव सिंह : मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर , खगड़िया , नालंदा , पश्चिमी चम्पारण, सुपौल , बांका, मोतिहारी , रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी तथा छपरा जिलों में आधुनिक सुसज्जित परिवहन भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

महोदय, चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान की स्थापना भी हुई है। परिवहन प्रक्षेत्र के उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण प्रशिक्षित चालकों की भारी मांग है। चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु रु0 2267.25 लाख की लागत से औरंगाबाद जिला में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे राज्य में व्यवसायिक वाहन चालकों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिससे राज्य में रोजगार के सृजन की संभावना बढ़ेगी।

महिला सशक्तीकरण के लिए भी परिवहन विभाग आगे बढ़कर काम कर रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए परिवहन विभाग के द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। यदि कोई तिपहिया वहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब महिला के नाम पर निर्बंधित है और उसका चालन स्वयं वह महिला या अन्य महिला जिसके पास व्यवसायिक अनुज्ञाप्ति है, द्वारा किया जाता है तो उसके लिए शत प्रतिशत वाहन कर में छूट दी गई है।

महोदय, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर जागरूकता हेतु सड़क सुरक्षा को राज्य के विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। साथ ही माननीय मंत्री की अध्यक्षता में “राज्य सड़क सुरक्षा समिति” एवं जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में “जिला सड़क सुरक्षा समिति” गठित है एवं क्रियाशील बनाया गया है। सड़क सुरक्षा में जागरूकता हेतु जनवरी के प्रथम सप्ताह में पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015 बनाई गई है। वर्तमान समय में “बिहार रोड सेफ्टी फंड” पर परियोजना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष : आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री सत्यदेव सिंह : वे ब्रीज का भी अधिष्ठापन हुआ है। महोदय, वाहन प्रदूषण नियंत्रण की भी स्थापना हुई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी के आधार पर बसों का परिचालन आरम्भ किया गया है। वर्तमान में कुल 118 निगम की संचालित बसें हैं तथा 337 बसें लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत निजी बसों का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम भूमि पर अवस्थित 14 बस डीपो / अड्डों को पी0पी0पी0 मोड में अत्याधुनिक बस टर्मिनल -सह-व्यवसायिक कम्प्लेक्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, मुझे तो अन्य विषयों पर भी बोलना था लेकिन समय नहीं है। राजनीति में कुछ दिन पहले एक पौलिटिकल फेवर हुआ था महोदय, विश्वासघात और धोखाधड़ी का उसपर भी चर्चा करनी थी लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं कर सका। राजनीति में गिरावट आ गयी है उसपर सदन को विचार करना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री आबिदुर रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं महागठबंधन के तहत माननीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और सोनिया जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं ऐसे जिला से

चुनकर आया हूँ जो सीमांचल नेपाल के छोर पर बसा हुआ है । इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार , इन्हीं इलाके से हमलोग आते हैं । साथ ही साथ यहाँ पर द्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ही अच्छी है । जो हमें आजतक चलने का मौका मिला और हमलोग चलते भी हैं और साथ ही साथ जल सेवा भी हमलोगों को शुरू करनी चाहिए ताकि हमलोगों की जल की सेवा बहुत ही अच्छी सूत्र के रूप में है जो कि पनार नदी से मिलकर कटिहार तक और फिर कटिहार से लेकर इलाहाबाद की दूरी को दूर कर सकता हैं द्रांसपोर्ट के जरिये ताकि शीष और पहले की भी सड़क की स्कीम 1980 में लायी गयी थी उसको आजतक इम्पलीमेंट नहीं किया गया । द्रांसपोर्ट में इसको भी इम्पलीमेंट करना चाहिए । साथ ही साथ इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि हमलोगों को दोनों सेवा बराबर के तौर पर चाहे रोड सेवा हो या जल सेवा हो दोनों को साथ ही साथ मिलाकर चलें तो आने वाले दिनों में लोगों को बहुत ही आसानी होगी और इसका अच्छा सबक मिलेगा । बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री सी0एन0गुप्ता , आपको 8 मिनट में बोलना है ।

श्री सी0एन0गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । परिवहन विभाग में जो कुछ अखबारों में छपे न्यूज आते हैं उसी से संबंधित मैं ज्यादा चर्चा करना चाहूँगा । परिवहन विभाग में कर भुगतान की प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए ‘ई’ पेमेंट की व्यवस्था को कारगर बनाना चाहिए। एस0बी0आई0 पोर्टल पर लागू 11 जिलों में लागू 2015-16 को अन्य जिलों में लागू करने का निर्णय हुआ था उसका अन्ततोगत्वा रिजल्ट क्या आया ? अच्छी बात है कि 457 बसों का परिचालन पी0पी0पी0 मोड पर हुआ है , कितनी बसें कार्यरत हैं इसकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए । अखबार में ऐसी सूचना मिली थी कि इन्टर स्टेट द्रांसपोर्ट की स्थापना पटना में की जा रही है । क्या केवल यह कागजी जानकारी है या इसपर कुछ कारबार भी आगे बढ़ा है । इसकी जानकारी मिलनी चाहिए । नागरिकों की सुविधा दक्षिण भारत की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ही नगण्य है । हमारे अधिकांश माननीय सदस्य दक्षिण भारत की यात्रा किए होंगे और वहाँ के बस स्टैण्ड को देखे होंगे । आप किसी समय जायेंगे वहाँ चमचमाती टाईल्स लगी हुई रोशनी से भरा हुआ बस स्टैण्ड मिलेगा लेकिन बिहार की जो हालत है वह बहुत ही खस्ता हालत है । कुछ जगहों को छोड़कर बहुत ही दयनीय हालत है । आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि छपरा स्वर्गीय दारोगा राय जी मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री चन्द्रिका राय जी का जिला है वहाँ प्रमंडलीय स्तर होने के बावजूद

सुविधाओं की घोर कमी है। ऑंवरलोडिंग और रोड जाम की समस्या वहाँ लाइलाज है इसके समाधान की आवश्यकता है। चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता है। कैमूर जिला के मोहनिया और गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड में एन0एच0-28 पर परिवहन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा गलत ढंग से पैसे की उगाही की जा रही है जो अखबारों के खबरों में दर्ज है। मैं दो प्रमंडलीय स्थानों की चर्चा करूँगा। छपरा की भी चर्चा कर चुका हूँ। पूर्णिया की चर्चा करना चाहूँगा वहाँ 25 हजार औटो कार्यरत हैं पर औटो स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूर्णिया सीमांचल का प्रमंडल मुख्यालय है आधुनिक बस स्टैण्ड की आवश्यकता है। पूर्णिया से काठमाण्डु के लिए सीधी बस चलान की आवश्यकता है ताकि बिहार और नेपाल का संबंध सुदृढ़ हो सके। सुविधा शुल्क के कारण बेरोजगार नौजवान का 'लाइसेंस नहीं बन पा रहा है। छपरा के बस स्टैण्ड का स्थानान्तरण आवश्यक है। वहाँ कूड़े का अम्बार है और रोड जाम की समस्या वहाँ बनी रहती है। बस स्टैण्ड के ठीक सामने जिला स्कूल का मैदान है जो कूड़े से भरा हुआ है।

क्रमशः

टर्न-18/विजय/ 16.03.2016

श्री सी0एन0 गुप्ता: क्रमशः महोदय, कार्यवाही के प्रारंभ में माननीय प्रतिपक्ष के नेता, डा० प्रेम कुमार जी और विजय कुमार सिंहा जी द्वारा सदन के माध्यम से जो बातें रखी हैं गयी है मैं उससे बिलकुल सहमति जताता हूँ और विरोध भी दर्ज करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग को दूसरे नं0 पर रखकर परिवहन विभाग पर चर्चा पहले करायी गयी है। हम सभी जान रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग जहाँ का 82,34,69,66,000/- (बेरासी अरब चौंतीस करोड़ उनहत्तर लाख छियासठ हजार) रु० बजट है, परिवहन विभाग का मात्र पचपन करोड़ पचहत्तर लाख बेरासी हजार का बजट है। स्वास्थ्य को इगनोर किया गया है। ऐसा करना हमसबों के हक में उचित नहीं है। कहा गया है पहला सुख निरोधी काया। अर्थात् प्राणी मात्र के लिए स्वस्थ्य रहना ही बड़ा सुख है। स्वास्थ्य लाभ के बाद ही किसी अन्य सुख का महत्व है। यह

लोकोउक्ति यह भी प्रमाणित करता है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ्य नहीं हो तो अन्य सुखों का पूर्ण आस्वासादन वह नहीं कर सकता। जनता के द्वारा चुनी गयी सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपनी जनता की भलाई के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्यों को उचित ढंग से संपादित करे। राज्य की बहुसंख्य आबादी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। चूंकि जनता का सुख उसके अच्छे स्वास्थ्य में निहित है अतएव सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधायें उत्तम होनी चाहिए। किंतु दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के 69 सालों के बाद भी बिहार की जनता को बिना सही इलाज और दवा के अभाव में मौत की मुंह की ओर बढ़ना पड़ता है।

अध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिये गुप्ता जी। समय समाप्त हो रहा है।

श्री सी0एन0 गुप्ता: महोदय, अंत में मैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। दवा की कालाबाजारी, नकली दवाओं का कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। कैंसर की दवा बाजार से कई गुण अधिक राशि पर बेची जा रही है जिससे कैंसर मरीजों का इलाज करना संभव नहीं हो पा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं की बात करें तो सरकार निजी संस्थानों के समक्ष बौना सिद्ध हो रहा है। जहां एक ओर सरकार की योजनायें अभी कागजों में ही हैं वही निजी संस्थानों द्वारा कार्य संपादित भी हो रहा है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मॉडलर ओ0टी0, एम0आर0आई0 एवं सिटी स्कैन की व्यवस्था को शुभारंभ करने की योजना भी अभीतक धरातल पर नहीं लाया जा सका है।

अध्यक्ष: अब समाप्त कर दीजिये।

श्री सी0एन0 गुप्ता: जी,जी। अब समाप्त करते हैं। राज्य में दवा का अभाव है। 7 ऑटो न्युबलाइजर मशीन बंद पड़े हैं। 35 करोड़ की मशीने धूल चाट रही हैं इत्यादि इत्यादि। मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे इस कार्य के लिए बोलने का मौका दिया गया।

श्री उपेन्द्र पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग के प्रस्ताव के पक्ष में एवं माननीय विपक्षी सदस्यों के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं एक नया सदस्य हूं पहली बार सदन में मुझे बोलने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का आभारी हूं। साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझकर महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इस विधान सभा में भेजने का काम

किये हैं इसके लिए भी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभारी हूं। मैं आभारी हूं उस बखरी विधान सभा क्षेत्र का जहां की जनता ने लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार मुझे भारी बहुमत से जीता कर सदन में भेजने का काम किया है। मैं उस जनता का भी आभारी हूं।

महोदय, आज परिवहन मंत्रालय बिहार के अर्थ व्यवस्था का रीढ़ है। आज देश की जो हालत है मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में यदि हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री लालू प्रसाद यादव नहीं होते, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नहीं होते तो मौजूदा हालत में लोकतंत्र को बचाना मुश्किल हो जाता।

महोदय, हमारे दलित छात्र रोहित बेमुला जो हैदराबाद युनिवर्सिटी के पी0एच0डी0 के छात्र थे जिन्हें एक साजिश के तहत मरने के लिए विवश कर दिया गया और आज उनके परिवार वालों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। महोदय, मैं जे0एन0यू0 की तरफ जाना चाहता हूं। हमारे जिला के छात्र हमारे जिला के कन्हैया कुमार जो जे0एन0यू0 में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत छात्रों के द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं, वे छात्रसंघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपने भाषण में मात्र आर0एस0एस0 और बी0जे0पी0 का नाम लिया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मैं जब उनसे मिलने के लिए दिल्ली गया था तो मुझे वहां के प्रशासन ने मिलने का मौका नहीं दिया। महोदय, मैं रोड पर खड़ा था लोग सामने थे एक बड़ी गाड़ी गुजरी। उस गाड़ी में एक बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ था। वह अपने जीभ को लपलपाते हुए जा रहा था। मैंने उसे कुत्तावश देखने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि कुत्ता भी कुछ कह रहा है। मेरे अंतरआत्मा से आवाज आयी कुत्ता कह रहा है-ए गरीब दलित पिछड़े तुम कैसी जिंदगी लेकर आए हो तुमसे तो भाग्यशाली मैं हूं। देख लो मैं ढंग गर्म गाड़ी में चलता हूं, टोस्ट, आमलेट, कटलेट खाता हूं, गड्ढे पर सोता हूं। क्या तुमने देखा है कभी हिन्दुस्तान। महोदय, मुझे लगा कि अमीरों के कुत्ते भी हमसे अच्छे जिंदगी जीते हैं और हम अमीरों के कुत्तों से भी बहुत नीचे की जिंदगी जी रहे हैं और यह जिलाने वाला दूसरा कोई नहीं है यही विपक्ष के लोग हैं महोदय।

अध्यक्ष: अब आप विषय पर बोलिये।

श्री उपेन्द्र पासवान: महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। परिवहन मंत्रालय जो हमारे अर्थव्यवस्था का रीढ़ है।

अध्यक्ष: श्री उपेन्द्र जी आपने खुद कहा है कि पहली बार बोल रहे हैं। आप अच्छा बोल रहे हैं। इसलिए अब विषय पर बोलिये।

श्री उपेन्द्र पासवानः विषय पर ही मैं बोल रहा हूं सर, एक मिनट। मैं संविधान के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। हमारे देश की जो मौजूदा हालत है कि बाला साहब भीम राव अम्बेदकर ने जिन्होंने संविधान को प्रतिपादित किया था जिस संविधान को बनाया था और इस संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था आज एक सोची समझी साजिश के तहत आरोएसोएसो वालों के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर संविधान की समीक्षा, आरक्षण की समीक्षा करने की बात चल रही है और आरक्षण को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से महोदय आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं कि हर हाल में संविधान की रक्षा होनी चाहिए और दलितों का जो आरक्षण है, पिछड़ों का जो आरक्षण है उसे हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। यह मैं सदन से आपके माध्यम से देश और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं।

क्रमशः

टर्न-19/बिपिन/16.3.2016

श्री उपेन्द्र पासवानः क्रमशः महोदय, परिवहन मंत्रालय सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन मंत्रालय आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। परिवहन मंत्रालय से राज्य की जो निधि है, जो कोष है, उसमें ज्यादा-से-ज्यादा राशि संचय होती है। परिवहन मंत्रालय से हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है जिससे आवागमन की सुविधा है, वह सुविधा सही ढंग से बहाल होती है। परिवहन मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्तिकरण किया गया है। जो महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदती हैं, वे व्यवसायिक लाइसेंस रखती हैं। ये गाड़ी जो खरीदती हैं, तीन पहिया वाहन खरीदती हैं, उसपर से कर-मुक्त कर दिया गया है और परिवहन मंत्रालय जो हमारे निःशक्त भाई हैं उन भाइयों के लिए भी उन्होंने जो दो पहिया, तिपहिया जो भी वाहन खरीदते हैं, उसको भी शत-प्रतिशत् कर-मुक्त कर दिया गया है। यह परिवहन मंत्रालय की देन है।

महोदय, मैं कुछ परिवहन मंत्रालय से हटकर जाना चाह रहे थे कि आज जो स्थिति है, हमारे महागठबंधन...

अध्यक्ष :

आप पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए हम आपको समय कुछ देंगे लेकिन समय की कमी है, आप इसका स्वयं ख्याल रखिए। हम आपको रोकना नहीं चाहते हैं लेकिन समय की कमी है, दूसरों को भी बोलना है, आप स्वयं शीघ्र समाप्त करिए।

श्री उपेन्द्र पासवानः : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं कि जब महागठबंधन बना था तो लोगों में यह धारणा थी कि महागठबंधन मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। जिस वक्त बक्सा खुल गई थी, काउन्टिंग हो रहा था तो सुबह 8.00बजे तक लोगों को आशा थी कि हमारे वेटिंग-इन-सी.एम. सी.एम. बन जाएंगे लेकिन जैसे-जैसे रूझान आगे बढ़ता गया तो महागठबंधन ने ऐसा जोर का पटका इन्हें मारा कि आगे आने वाले 20वर्षों के इतिहास में इन्हें होश आने वाला नहीं है।

महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर-हमेशा दलित, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, एवं छात्रों की आवाज को कभी दबने नहीं दिया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि पथ परिवहन मंत्रालय के माध्यम से हमारे जिला में भी पथ परिवहन की गाड़ियां दौड़े। चोरवासराय से बेगुसराय, बेगुसराय से खगड़िया और बेगुसराय से बखरी, कम-से-कम तीन जगह परिवहन की गाड़ी दौड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष : श्री लक्ष्मेश्वर राय। आप 07 मिनट में समाप्त करिएंगा।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, विधान सभा में परिवहन विभाग के बजट बहस के दौरान बोलने का अवसर दिया गया है।

महोदय, परिवहन विभाग का बहुत ही कदम-दर-कदम विकास हो रहा है। परिवहन राज्य के सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सड़कों के निर्माण से माल और गाड़ियों का परिवहन आसान हो गया और जीवन-स्तर भी बदला है। साथ ही, परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण में भी कारगर अपनी भूमिका निभा रही है। विगत् 10 वर्षों से परिवहन विभाग द्वारा संचित राजस्व में आशातीत वृद्धि हो रही है। इसकी वार्षिक वृद्धि 25प्रतिशत् के करीब है। राज्य में वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और आर्थिक विकास, विधि-व्यवस्था, सड़कों की दशा में गुणात्मक सुधार, यह सारा परिवहन विभाग का जो भूमिका रहा है, उस आधार पर बढ़ रहा है। जनता का आवश्यक सहयोग प्राप्त करते हुए प्रबंधन, सड़क की सुरक्षा, नवीन उपायों, चालकों के प्रतिपरीक्षण स्थापित करने एवं एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने को प्रयासरत हैं। साथ ही, परिवहन विभाग प्रमुख राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में भी आगे आया है और साथ ही अन्य पड़ोसी राज्यों में भी यात्रियों के यातायात की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयासरत है। पारस्परिक समझौता कर मार्ग परमिट और संख्या का निर्धारण किया गया है। यथाशीघ्र ही वाहन स्वामियों को परमिट उपलब्ध करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग मुख्यालय में कार्य प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करते हुए सिंगल उद्यम सिस्टम लागू कर दिया है। व्यवसायिक चालक प्रशिक्षण के लिए औरंगाबाद जिले में एक आधुनिक चालक प्रशिक्षण

शोध संस्थान का निर्माण किया गया है। साथ ही, बजट देखने से पता चलता है कि जो बिहार का विकास दर है, वह परत-दर-परत आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से बिहार के विकास के बगैर विकसित भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता है। बिहार के परिश्रमी लोग, खासकर महिलाएं, नौजवान, उद्यमी, उपजाऊ भूमि और आवो-हवा, इसके जलश्रोत, इसकी समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास बिहार की तरक्की के लिए राज्य सरकार ने अनेकों प्रयास किए हैं जिसमें कुछ हासिल भी हुआ है। साथ ही, राज्य प्रगति के पथ पर जिस मील के पत्थर पर पहचाना है, वहां से आगे बढ़ने के लिए चल रहे कार्यक्रम को कुछ नए संकल्पों पर काम करने की जरूरत है। समृद्धि और विकसित बिहार बनाने के लिए यह ठोस कार्यक्रम साबित होगा। इस महत्वपूर्ण प्रयास की सफलता के लिए पथ परिवहन निगम बड़ी मजबूती से काम कर रहा है। खासकर हम चाहेंगे कि जो गांधी सेतु है, जो पथ परिवहन का सबसे बड़ी घाटे का सौदा है और लोग सशक्ति भी रहते हैं और यह जाम की समस्या का भी निदान करते हैं, हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही जो पांच साल से लंबित प्रक्रिया है, महात्मा गांधी सेतु की मरम्मती का काम निश्चित रूप से किया जाए जिससे परिवहन विभाग की आय-श्रोत के साथ-साथ बिहार का जो बजट है, उसके और भी दोगुणा, तिगुना बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही, हम चाहेंगे केन्द्र सरकार से, यह जो लंबित परियोजनाएं हैं पटना, बक्सर, फारबिसगंज, जोगबनी, पटना, डोभी, बिहारशरीफ, मोकामा, वाराणसी, औरंगाबाद, छपरा, मुजफ्फरपुर सड़क योजना, यह जो पांच साल से लम्बित है, ये योजनाएं यदि शुरू हो जाती हैं तो परिवहन विभाग के साथ-साथ सरकार का आय भी बढ़ेगा और आवागमन की सुविधा के लिए एक मजबूत रास्ता भी मिलेगा।

अध्यक्ष: अब एक मिनट में।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: महोदय, हम सभी सदन से चाहते हैं पक्ष और विपक्ष के लोगों से, खास कर विपक्षी लोगों से कि आप दक्षिण का उदाहरण लें कि जहां अब नई-नई कल्पना और जापान से और दुनिया के और देशों से टेक्नोलॉजी परिवहन को लगाया जा रहा है। चाहे आप दिल्ली को लें तो लगता है कि प्रदूषण-मुक्त दिल्ली बनाना चाहते हैं लेकिन हमलोग कटौती प्रस्ताव या और अपने में आपसी बात में वाद और विवाद तक सीमित हैं क्यों? क्यों नहीं, एक सुन्दर बिहार की कल्पना करते हैं। यदि दिल्ली के लोग या दक्षिण भारत के लोग प्रदूषणमुक्त होना चाहते हैं तो हमको भी कल्पना करना चाहिए कि सुन्दर बिहार की कल्पना करें, जो देश का मार्गदर्शन करे। संयोग से नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे देश और दुनिया में राजनीति को मर्यादा दिए हैं। लगता है कि इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नीतीश कुमार स्थापित हो रहे हैं। इसीलिए जिस तरह की राजनीति में मर्यादा केवल मेरे लिए नहीं, महोदय अब तो लगता

है कि पक्ष के लोगों को ही अमल में रखना होगा । यह नहीं होगा । इसपर भी चिंतन करिए कि आज जो भी घटना हुई, निन्दनीय है किसी भी सदस्य के लिए, लेकिन मर्यादा केवल पक्ष के लोग के लिए, मर्यादा केवल सत्ताधारियों के लोगों के लिए, यह नहीं होगा । अब छोटी-छोटी बातों पर भी आप उठकर खड़े होते हैं ...

अध्यक्ष: अब अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: लेकिन मुझको भी आप जानिए, मैं आपको भी जानू और सुन्दर बिहार की कल्पना के लिए सारे लोग आगे आइये । इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमको समय दिया, हम आभारी हैं । जय हिन्द ।

टर्न-20/राजेश/16.3.16

श्री राजीव नंदन:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको अपनी ओर से तथा गुरुआ की जनता की ओर से बधाई देता हूँ कि इस सदन में पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया, साथ ही अपने नेता का धन्यवाद करता हूँ कि आज परिवहन विभाग द्वारा पेश मांग के विरोध में एवं लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मुझे समय दिया। महोदय आज से 52 वर्ष पहले इसी सदन में कटौती प्रस्ताव लाया गया था परिवहन विभाग के विरुद्ध में और लाने वाले थे जननायक गुदड़ी के लाल माननीय कर्पूरी ठाकुर जी। प्रस्ताव था अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आज इस सदन के सामने, मैं सभी माननीय सदस्यों के समक्ष एक सवाल रखता हूँ कि 52 साल पहले लाये गये कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा उठाये गये सवाल पर कि परिवहन विभाग में व्याप्त जातियता, पक्षपात और भ्रष्टाचार आज भी परिवहन विभाग में सारे राज्य में व्याप्त है, सरकार में सम्मिलित कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी कहलाने के लिए तत्पर रहते हैं। महोदय, 52 साल में एक भी निगम में व्याप्त पक्षपात तथा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सका, तो अध्यक्ष महोदय हम कहना चाहेंगे कि बजट के अगले सत्र में यानि 2017-18 में जब परिवहन विभाग पर चर्चा हो, तो इस विभाग से भ्रष्टाचार, जातीय पक्षपात आदि समाप्त हो जायेगा, हम सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज ऐसी व्यवस्था करें कि जो परिवहन विभाग में खामियाँ हैं, उसको दूर कर सके, हमारे जननायक इसी सदन में इसी पक्ष से कटौती प्रस्ताव लाये थे, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमारे अनुयायी हमारे भाव को कैसे लागू करेंगे, मैं आज उनके समक्ष यह प्रस्ताव देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, आज अन्तर्राज्यीय बसों के संचालन के मामलों में खेपों के लिए कम कमीशन की राशि भारित करने के कारण निगम को राजस्व में भारी हानी हुई है। कमीशन की मांग करने से संबंधित लोक निजी भागीदारी योजना अनुबंध के लागू नहीं होने से निगम को राजस्व की हानि हुई है। निगम के निजी परिचालकों द्वारा बसों के अधिकृत-अनाधिकृत परिचालन को रोकने में विफल रहने से करोड़ों के राजस्व का हानि हुआ है। लोक निजी भागीदारी योजना में न्यूनतम वाहन, उत्पादकता, उपवाक्य को सम्मिलित नहीं करने तथा बसों के परिचालन के खराब अनुश्रवण के कारण निगम को लाखों की हानि हुई है। अध्यक्ष महोदय, निगम के त्रुटिपूर्ण मार्ग योजना के कारण राजस्व की हानि हुई है, अध्यक्ष महोदय, मृत किलोमीटर का झूठा प्रदर्शन कर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है, अध्यक्ष महोदय, निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी योजनान्तर्गत लोक निजी भागीदारी नीति बनाये ही बसों का परिचालन कर दिया, पी0पी0 मोड में आज हम बसों का परिचालन कर दिये, कोई इसके लिए नीति नहीं बनाये और इस तरह से कानून को लागू कर दिया, जिसके कारण आज हमारे निगम का हालत बद से बदत्तर होते जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, निगम में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वाहनों की सूचना प्रणाली दोषपूर्ण रहने तथा आंतरिक लेखा परीक्षक (इन्टरनल ऑडिट रिपोर्ट) होने के बावजूद भी 2009 से 2014 तक कोई नियमित ऑडिट रिपोर्ट नहीं कराया गया है, जिसके कारण निगम में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला रहा और वे मनमानी करते रहे और अपने संसाधन को लूटते रहे, दोषपूर्ण लोक निजी भागीदारी संविदा तथा खराब अनुश्रवण के कारण निगम को करोड़ों रुपये की राजस्व की हानि हुई, निगम में प्रचलित आंतरिक नियम प्रणाली दोषपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, निगम में निधि की उपलब्धता के बावजूद भी पुराने बसों के बेड़ों को मजबूत करने में यह विफल रहा और इस प्रकार जनता को संभावित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य में यह विफल रहा। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग को वाहन कर का राजस्व संग्रह करने का दायित्व है और हमारे टोटल बिहार का जो राजस्व है, उसमें से लगभग 8 से 10 प्रतिशत तक ही परिवहन विभाग कलेक्ट करता है, परिवहन विभाग से 6 प्रमुख स्थलों से समेकित जांच चौकियों का निर्माण कराया गया है महोदय लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति है भ्रष्टाचार का, इनकी माफियाओं का बोलबाला है, महोदय, मैं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसको समाप्त करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्रेंग ब्रीज का निर्माण कराया जाय ताकि ऑटोमेटिक वाहन को बिना रोके उसका नम्बर नोट हो, उसका वेट मेजरमेंट हो जाय, बिना कुछ किये हुए हम ऐसा प्रूभ बनाये, यह सिर्फ हमारा ही

दायित्व नहीं, सरकार का ही दायित्व नहीं बल्कि यह पूरे सदन का दायित्व है कि इस परिवहन विभाग में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग में मात्र 18 सेवाएँ सूचना के अधिकार के नियम के तहत आती है, क्यों ? सिर्फ 18 सेवाएँ ही क्यों ? परिवहन विभाग को पूरा सूचना के अधिकार के तहत आना चाहिए, क्या इसमें ऐसी बात हो गयी कि आप लोगों को जानकारी देने से छिपा रहे हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ कि सारा विभाग पारदर्शी होना चाहिए और पूरे विभाग को सूचना के अधिकार के तहत आना चाहिए सिर्फ 18 सेवाओं से नहीं ? महोदय, डाईवर प्रशिक्षण केन्द्र एक औरंगाबाद में 22 करोड़ रुपये की लागत से खोला गया है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ लेकिन डाईवर बनते कौन हैं ? कौन-कौन लोग बनते हैं, एक गरीब का बच्चा बनता है, एक गरीब का बच्चा अनपढ़ लोग जो होते हैं, वही बनते हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं रहता है, वह बनता है, पूरे बिहार में एक प्रशिक्षण केन्द्र खुला है, जिसमें हम अपनी पीठ थपथपा लें, यह सदन के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, यह प्रत्येक जिले में होना चाहिए डाईवर प्रशिक्षण केन्द्र, वैसे तो मारे पास 19 प्रशिक्षण केन्द्र हैं, वे नामित हैं, जिनसे प्रशिक्षण लेने के बाद लाईसेंस बनाया जा सकता है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक डाईवर प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाय और इसके कारण भारी वाहनों का लाईसेंस नहीं बन पाता है, गरीबों को दूसरे राज्यों में जाकर लाईसेंस बनवाना पड़ता है, महोदय, हाल के वर्षों में जो बजट पेश किया गया है, उसमें जो ऑकड़ा दिखाया गया है कि भारी मात्रा में, करीब 6 लाख सारे वाहन का रजिस्ट्रेशन पहुंच गया है, रजिस्ट्रेशन करने का जो जिलेवार आपने कार्यालय खोला है, वह कार्यालय अब अपर्याप्त हो गये हैं, उनमें भीड़ लगी रहती है और रजिस्ट्रेशन आपका दो ही बजे तक होता है और दो बजे के बाद ३००००००० कार्यालय में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, अब जो दूर-दराज से 60, 70 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, वे वापस लौटकर जाते हैं कि अब दो बज गया है, कार्यालय बंद हो गया है, इसलिए कार्यालय में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का पद सृजन करके अनुमंडल स्तर पर खोला जाय ताकि वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके रजिस्ट्रेशन के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि बिहार मोटर करारोपण अधिनियम-94 के भाग का मोटर वाहन के 10 तालिका की धारा-5 की उपधारा-1 की निर्बंधित लदान क्षमता पर ही टैक्स लेने का प्रावधान है अध्यक्ष

महोदय लेकिन टैक्स टोकन पर हम लिखते तो हैं रजिस्टर लेडिंग वेट आर0एल0डब्लू0 पर वहाँ अंत में अंकित करते हैं ग्रौस वेकिल वेट ।

क्रमशः

टर्न:21/कृष्ण/16.03.2016

श्री राजीव नन्दन : (क्रमशः) या अगर आप ग्रौस व्हेकिल्स वेट पर लेना चाहते हैं तो नियम में संशोधन कीजिये, इससे हमारे सरकार की मंशा और पब्लिक में जो वाहन मालिक हैं, सरकार की छवि खराब होती है कि सरकार हमको ठगने का काम कर रही है । लिखती कुछ है, देती कुछ है । अगर आपको ग्रौस टोटल वेट पर लेना है तो नियम में संशोधन कीजिये और नहीं तो फिर आप इस टैक्स टोकन में रसीद काट कर दे रहे हैं, वहाँ पर आर0एच0डब्ल्यू0 पर ही वाहन का कर लिया जाय । मैं इन सभी संशोधनों को लाते हुये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसीलिए मैं कटौती का प्रस्ताव लाया हूं कि आप मेरी सुझावों में कुछ परिवर्तन कीजिये ताकि इसका काया-कल्प हो सके । इसलिए विपक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुये मेरे द्वारा उठाये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुये 7 निश्चय की माननीय नीतीश कुमार परिवहन विभाग, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे जननायक द्वारा इस सदन में उठाये गये उनके ही तथाकथित अनुनायियों की सरकार लागू करे ताकि बिहार राज्य में परिव्याप्त, जातियता, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके और बिहार की जनता को एक अच्छी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके । मेरी ओर से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद जिन्होंने मेरी बातों को सुना और माननीय अध्यक्ष जी को भी जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजीव जी, चूंकि आपने कहा कि आप पहली बार बोल रहे हैं, आपने समय-सीमा लांघी तो हमने टोका नहीं ।

श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, आप 7 मिनट में अपनी बातों को रखिये ।

श्री प्रेमा चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग के पक्ष में अपना विचार रख रही हूं । महोदय, आज 21वीं सदी में परिवहन किसी भी देश के लिये लाईफ लाईन है । जिस देश या राज्य ने अपनी परिवहन व्यवस्था को नजरअंदाज किया, उस देश और राज्य को अपनी अर्थ-व्यवस्था के विकास की राह में भारी क्षति झेलनी पड़ी है । महोदय, सड़क हो, रेल हो, वायु मार्ग हो या जल मार्ग हो सबों का महत्व देश या राज्य के विकास में मील का पत्थर

साबित होता है। महोदय, जिस तरह से मानव के लिये रक्त की धमनियां महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से किसी भी राज्य की अर्थ-व्यवस्था के लिये संचार के माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। आधुनिक जीवन में मनुष्य के आर्थिक जीवन, सामाजिक विकास एवं सड़क परिवहन की बहुत बड़ी भूमिका है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि राज्य की आर्थिक समृद्धि में विकसित परिवहन व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। महोदय, सड़क मार्गों का निर्माण एवं विस्तार एवं उसके माध्यम से यात्रियों एवं मालों को कम से कम समय में गंतव्य स्थल पर पहुंचाने वाले आधुनिक परिवहन व्यवस्था के कारण सकल घरेलू उत्पाद में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में चल रही विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। महोदय, सड़कों पर तेज गति से दौड़ती गाड़ियां, रेल पटरियों का विशाल जाल, हवाई अड्डों पर हर 5 मिनट में विमानों का आवागमन, जल मार्ग से जहाजों की चहल-पहल किसी भी प्रदेश की विकास में चार चांद लगाते हैं। महोदय, आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में प्रति हेक्टेएर संख्या में बिहार यू०पी० के बाद दूसरे स्थान पर है। बढ़ती जनसंख्या के सुरक्षित तेज और आरामदेह आवागमन के साथ-साथ वाहनों से पर्यावरण को पहुंचती क्षति न ही हमारे देश एवं राज्य बल्कि पूरे विश्व के लिये एक बड़ी समस्या है। महोदय, आज के समय में पर्यावरण और परिवहन एक ऐसे गठजोड़ में हैं, जिसे अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता है। वाहनों से निकलती जहरीली गैसें हमारे जीवन एवं पर्यावरण को कितने भयावह तरीके से नुकसान कर रही है। महोदय, राज्य का तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के कारण परिवहन प्रक्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण निजी एवं व्यवसायिक वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिसके कारण परिवहन विभाग को कई नई चुनौतियां मिल रही है। उक्त वाहनों का नियंत्रण परिवहन विभाग के लिये कड़ी चुनौती है। महोदय, इसके लिये मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनके निबंधन उन पर अधिरोपित करके कर की वसूली, चालक अनुज्ञाप्तिया निर्गमन की सुरक्षा, दुरुस्त वाहनों के लिये योग्यता की जांच, प्रदूषण नियंत्रण एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को करना परिवहन विभाग का मूल दायित्व है।

अध्यक्ष : आप शीघ्र ही समाप्त करें।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : महोदय, परिवहन हमारे और आनेवाली पीढ़ियों के जीवन के लिए वरदान या अभिशाप होता है, यह बहुत हद तक हमारे हाथ में है। परिवहन संबंधी

नीतियों पर विचार कर जनहित के लिये सही परियोजना लाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। महोदय, हमें क्यूरेटीव तरीके छोड़ कर प्रीवेटीव तरीके अपनाने चाहिए। महोदय, सुप्रीम कार्ट के आदेशानुसार डिजल वाहनों में बी0एच0 3 नॉर्म की डिजल की जगह बी0 एच0 6 नॉर्म की डिजल 2020 तक इस्तेमाल में लाने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, जिससे अभी के वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण होगा। आम ऑटो की जगह ई-ऑटो इस्तेमाल, गाड़ियों में ईलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देना यह परिवहन विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दीजिये 1 मिनट में।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : विकसित देश व राज्य जहां गरीबों के पास निजी वाहन है, पर विकसित देश या राज्य है, जहां अमीर लोग निजी वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग आम दिनचर्या में करते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बिहार की सड़कों पर राज्य परिवहन निगम की बसों को जनता की सुविधा के लिये चलवाने का काम किया है। महोदय, केन्द्र की सरकार ने बुलेट ट्रेन की महत्वकांक्षी परियोजना न बिहार में लायी है, जिसमें हजारों करोड़ खर्च हो रहे हैं, उस राशि का बेहतर इस्तेमाल मौजूदा परिवहन संसाधनों को दुरुस्त करने में किया जा सकता तो ज्यादा उचित होता। महोदय, आम लोगों के विचार में इस हजारों करोड़ की राशि का रेल पटरियों के मरम्मति, रेल लाईनों का विस्तार, मौजूदा ट्रेनों का आधुनिक यंत्रों से लैस कर समायोजित और तेज चलाने में किया जा सकता था।

अध्यक्ष : श्री शकील अहमद खान, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री शकील अहमद खान : माननीय स्पीकर महोदय, मुझे बेइंतहा इस बात की खुशी है कि आज आपने इतना खुबसूरत माहौल पैदा करवा दिया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष अपनी बात कह रहा है और सुन रहा है। आपने तो रवीन्द्र नाथ टैगोर की वह कविता याद दिला दी खासकर टैलरेंस के ऊपर, वह जरूरी है आनेवाले दिनों में पक्ष-विपक्ष के बीच जो नोंक-झोंक होनेवाला है तो यह कविता अगर वे सुन लेंगे, रवीन्द्र नाथ टैगोर जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने लिखा था 'जन-गण-मन अधिनायक' उन्हीं की बात है ये और आज के संदर्भ में आपको जानना जरूरी है। जो कहते हैं कि

‘जहां चित्त भय से शून्य हो,
जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सकें,
जहां ज्ञान मुफ्त हो,
जहां दिन-रात विशाल वसुधा को खंडों में विभाजित कर,
छोटे-छोटे आंगन न बनाये जाते हों।’

महोदय, माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है । इसलिए इसको थोड़ा मजेदार बनाने की आवश्यकता है । आज का बहस बहुत इम्पौर्टेंट इसू पर है । एक कविता का बहुत ही मजेदार और छोटा अंश मेरे पास है, बड़ा मजेदार है, बड़ा ही मजा आयेगा ।

‘थमाकर नीम हमको वो चन्दन ले गया,
वह अपने सारे कारोबार को लंदन ले गया ।
जो छाती ठोक कर कहते थे कि कालाधन लायेंगे,
उन्हीं के नाक के नीचे सफेद धन ले गया । ’

टर्न-22/सत्येन्द्र/16-3-16

श्री शकील अहमद खां(क्रमशः) पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर विपक्ष कह रहा है कि स्वास्थ्य पर और माईनोरिटी पर बात होनी चाहिए इससे इंकार नहीं है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इम्पोर्टेंस से इंकार अगर विपक्ष करता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही विवेकहीन तर्क है। अगर हममें से किसी को भी अभी अभी फौरन अपने घर जाने की जरूरत पड़ जाये यही से तो कौन से साधन का इस्तेमाल करेंगे तो वह है ट्रांसपोर्ट। यह जीवन की जिन्दगी से जुड़ी हुई चीज है। (व्यवधान) इनको वक्त आयेगा तो कहने दीजियेगा। ट्रांसपोर्ट के इम्पोर्टेंस के सवाल पर जिस ट्रांसपोर्ट की जरूरत हम सब लोगों की जिन्दगी से जुड़ी हुई है उस पर बहस जो सरकार इतने बेहतरीन तरीके से करवाना चाहती है उसके इम्पोर्टेंस से इनकार एक विवेकहीन तर्क का हिस्सा है और वो लोग इस विवेकहीन तर्कों को पूरे देश में चलाना चाहते हैं। माननीय महोदय,आपको मैं बतलाऊं कि ट्रांसपोर्टेंसन हमारी जिन्दगी में किस तरह से हिस्सा है। ट्रांसपोर्टेंसन अगर सही होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही होगा तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे घर के लोग आपके घर के लोग सही समय पर अपने अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाया जाय इससे सब का फायदा होगा। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होगा तो उससे आपका और मेरा इकोनोमिक सिस्टम में फायदा होगा बचत होगा। आपके प्राइवेट गाड़ी में जितना आपका पैसा लगता है अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो जायेगा तो प्राइवेट भेकिल में जितने पैसे लगते हैं उसकी कटौती हो जायेगी और आपकी इकोनोमी कम हो जायेगी। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो गया तो आप ठीक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो तो रोजाना आपको अपने समय के निर्धारण में कुछ दूर, थोड़ी दूर जो जाना पड़ता है अगर ट्रांसपोर्ट

सिस्टम सही हो गया तो लोगों के बीच में, आपस में भाईचारा बढ़ेंगे इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके इम्पौर्टेंस पर बहस की जाय, स्वास्थ्य का भी इम्पौर्टेंस हैं लेकिन इसके इम्पौर्टेंस को भी इंकार करना विवेकहीन तर्क का हिस्सा है और उस विवेकहीन तर्क की बुनियाद पर आप राजनीति करते हैं। माननीय महोदय, थोड़ा सा चूंकि हमें उत्तेजित कर दिया गया आप लोगों के सामने मैं यह कहना चाहता हूं मुझे खुशी है कि परिवहन मंत्री यहां बैठे हैं मॉडर्न टाईम्स में जो परिवहन व्यवस्था और उसकी फैस्लटीज है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर बनाया जाय और जो हमारा लक्ष्य है हम यह कहते हैं कि हम छः घंटे में, पांच घंटे में पटना पहुंच सकते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महोदय हमारा यह सिस्टम सही होगा तो गांव का व्यक्ति ब्लौक आयेगा या अपने पंचायत आयेगा तो फिर वहां से पटना आ सकता है लेकिन जाहिर सी बात है कि न सिर्फ एनोएच० पर ट्रांसपोर्ट को ठीक करना होगा बल्कि बस के फैस्लटीज भी बढ़ानी होगी। इसके लिए ब्लौक से लेकर जिला तक के फैस्लटीज को बढ़ानी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्पौर्टेंट है और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो प्रोविजन आपने लाया है इनको समझ में नहीं आता है कुछ चीजें जो हैं उसमें उसके रेवन्यू कलेक्शन से कितना बड़ा फायदा होता है। आपने कहा ट्रांसपोर्ट पर बहस न की जाय ट्रांसपोर्ट पर बहस से रेवन्यू कलेक्शन अधिक हो सकता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय अगर ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधाएं कर दी, बसों का इंतजाम जो आज के दिन में है माफ कीजियेगा वो ठीक नहीं है इससे इंकार करना तो मुश्किल है। महोदय, हमलोग बचपन में यह देखते थे पूर्णियां में कि बस में विधायकों के लिए सीट आरक्षित रहती थी ऐसा इसलिए कि उस समय परिवहन व्यवस्था ठीक था, डिपो ठीक था उसका स्ट्रक्चर ठीक था अभी जो स्ट्रक्चर का प्रोब्लम है उसको अगर हम सब लोग मिलकर ठीक करें और उसके साथ-साथ जहां से जिस गंतव्य से जहां जाते हैं वहां अगर वो मामला ठीक रहे और नम्बर ऑफ बसेज, नम्बर ऑफ फैस्लटीज अगर हमारी बढ़ती चली जायेगी तो उससे रेवन्यू का कलेक्शन भी ज्यादा होगा। साथ साथ जनता को भी सुविधाएं मिलेगी इसके आधार पर...

अध्यक्ष: शकील जी, अब समाप्त कीजिये।

श्री शकील अहमद खां: बहुत बहुत शुक्रिया। दो और इश्यू है देखियेगा अगर उस पर बहस हो जाती है मैं सिर्फ ईशारे में बात कहना चाहता हूं स्वास्थ्य और माईनोरिटी डिपार्टमेंट पे सिर्फ दो बातों का ईशारा मैं दे रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं मेरा ईशारा यह है मैं सिर्फ कटिहार का उदाहरण दे रहा हूं स्वास्थ्य के मामले में, महोदय, वहां पे 261 डॉक्टर्स की पोस्टिंग है सेंक्षण पोस्ट है। मैं इस बात

को अच्छी तरह जानता हूँ सेंक्शन पोस्ट का मतलब वहाँ इतने डॉक्टर पदस्थापित किये जा सकते हैं लेकिन 261 में सिर्फ 59 की पोस्टिंग है और 11 डॉक्टर 10 साल से नहीं है। बेहतर यह है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर की नियुक्ति की जाय और मुझे इस बात की खुशी है कि 7 हजार ए०एन०एम० की नियुक्ति करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयास शुरू कर दिया है और पिछले दिनों जब स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स का इंतजाम हम दो माह के अन्दर कर रहे हैं। इसको आप जल्द से जल्द कीजिये तो उसका फायदा होगा लोगों को।

अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये।

श्री शकील अहमद खां: मायनोरिटी मिनिस्ट्री में भी एक बड़ी साफ बात है। जबतक कि बजटरी प्रोविजन बड़े पैमाने पर नहीं होंगे तो फिर मैं दो मिसाल देता हूँ। मायनोरिटी डिपार्टमेंट का बजट प्रोविजन 294 करोड़ है और तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में यह 7 हजार करोड़ है तो मायनोरिटी प्रोविजन में बजटरी प्रोविजन नहीं बढ़ायेंगे तो लोगों को सुविधा आसानी से नहीं दे सकते हैं। इन बातों को पर ध्यान देंगे इस सरकार को कोई छू नहीं सकता है। महोदय, आपने हमें समय दिया इसलिए बहुत शुक्रिया।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है उसमें परिवहन है, अल्पसंख्यक कल्याण है, स्वास्थ्य है और सूचना प्रसारण भी है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार हमको लगता है कि दो नम्बर पर स्वास्थ्य आया है और परिवहन आगे आया है। आजादी के बाद से सदन में पहली बार दूसरे नम्बर पर स्वास्थ्य का ले किया गया है और एक नम्बर पर परिवहन आया है।

अध्यक्ष: ललन जी, अगर आप अपनी बात कह लेते तो अच्छा था। आपको बतला दूँ आजादी के बाद स्वास्थ्य विभाग का बजट गिलोटीन में हुआ है यह आपकी जानकारी और सदन की जानकारी के लिए दे रहा हूँ। आप अपनी बात कह डालिये।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ सासाराम में सदर अस्पताल है और एक भी जगह सदर अस्पताल में चाहे चेनारी हो मेरे यहाँ एक जगह के अस्पताल में भी न दवा है, न रूई है, न सुई है। यहाँ दो तीन डॉक्टर हैं, एक भी लेडी डॉक्टर नहीं हैं। पहाड़ से जितने भी लोग आते हैं एक भी प्रसव आजतक नहीं हुआ चूंकि वहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं है और मेक्सिम डॉक्टर मुख्यालय में नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ चार प्रखंड हैं और उस चारों प्रखंड की मैं चर्चा करूँ, नौहटा, रोहतास का नक्सल इलाका है वहाँ जो स्थिति है, महोदय, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को कुता काटा था एक जगह नहीं पूरे सासाराम में दवा खोजवाया, हार

गये लास्ट में ३००५० को कहें कि कहीं कुत्ता काटने की दवा नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है आपसे परिवहन पर हम चर्चा करना चाहते हैं मेरे यहां टौल टैक्स है झारखंड से गाड़ी गुजरती है जी०८० रोड पर जिसे ए०८० ए८०-२ कहते हैं और उस पर झारखंड से, डोभी से गाड़ी घूसती है, गया से लेकर मुगलसराय के बीच में ३-४ टौल टैक्स है कस्टम, वाणिज्य कर का टौल टैक्स मोहनियां में भी है, एक मेरे चेनारी विधान-सभा में है, सभी जगह गाड़ियों का लाईन लगा रहता है।

अध्यक्ष: आपसे अधिक संख्या रखने वाले महबूब जी भी एक मिनट बोलना चाहते हैं।

श्री ललन पासवान: आ०८००५० के समक्ष गाड़ियों का ट्रक लगा रहता है कलेक्शन के लिए। यह हम नहीं कह रहे हैं यह सत्य पर आधारित है और पूरा टौल टैक्स प्लाजा जो है वह पूरी तरह लूट का सेंटर बना हुआ है। यहां से लेकर वहां तक आप उसकी जांच करा लीजिये जो स्थिति है परिवहन का और हमारे यहां चेनारी से एक बस चलती थी वह बंद हो गयी, नौहट्टा से कहीं से कोई परिवहन की बस नहीं है जो चल रही थी वो भी बंद हो गयी इसलिए हम आग्रह करेंगे

...

अध्यक्ष: महबूब जी, आपने पहले लिखकर नहीं दिया था इसलिए आप एक मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री महबूब आलम: खासकर कटिहार के पूर्वी क्षेत्र जो हमारा सीमांचल पड़ता है महानंदा के पूरब किनारे उस तक की जो ६५ कि०मी० सड़क कटिहार से गंगखोरा चमैली सालमारी बारसोई होकर अबादपुर तक जाती है। महोदय, वह १९७६-७७ का बना हुआ है यह पी०डब्लू०डी० रोड एकल पथ है, सिंगल रोड है उसका चौड़ीकरण नहीं है महोदय और जिस वजह से करीब करीब ६५ कि०मी० से मुश्किल से वह २० कि०मी० चौड़ी है और हमें बारसोई कटिहार आने के लिए कम से कम तीन घंटा से ज्यादा समय लगता है। महोदय, अभी हमारे विपक्ष के लोग रोहित बेमुला जी का नाम लेते हैं। शहीद रोहित बेमुला भूख से आजादी उनका नारा ही था, भूख से आजादी, गरीबी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, फिरकापरस्ती से आजादी। (क्रमशः)

टर्न-23/मधुप/16.3.16

श्री महबूब आलम : ..क्रमशः.. फिरकापरस्ती से आजादी, मनुवाद से आजादी, जिल्लत से आजादी, है हक हमारी आजादी, लड़कर लेंगे आजादी । महोदय, आज जो गाँव के गरीब लड़के जो हजारों-लाखों की संख्या में टेम्पू चलाते हैं, उन टेम्पू चालकों के लिए यहाँ कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है । मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के बच्चे जब टेम्पू चलाना शुरू करते हैं डाईवर बनकर, उनको डाइविंग लाइसेंस नहीं दी जाती है, लाइसेंस लेने के लिए वे जिला लाइसेंस कार्यालय के आगे-पीछे चारों तरफ फेरा लगाते हैं दो-दो महीना, छः महीना उनको लाइसेंस नहीं मिलती है और लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानी होती है ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री महबूब आलम : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बहुत महत्वपूर्ण है । बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रीमियर हुआ करते थे, मो० युनूस साहब लेकिन बिहार प्रबोधन कार्यक्रम में उनका नाम नहीं दर्शाया गया है, श्रीकृष्ण सिंह जी का नाम दर्शाया गया है । मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय । निःशक्त बच्चे अगर टेम्पू चलाते हैं तो उनको निःशुल्क टेम्पू दिया जाय।

अध्यक्ष : अब आपका भाषण समाप्त हुआ । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री चन्द्रिका राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की माँग पर जो कठौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य.....

श्री प्रेम कुमार : महोदय, आज हमारे माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग पर.....

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, आप पुराने सदस्य हैं, मुख्य विभाग परिवहन विभाग है, माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं । माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से वाक-आऊट किया ।)

श्री चन्द्रिका राय : माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा ने जो कठौती का प्रस्ताव दिया और वाद-विवाद के क्रम में कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव को प्रस्तुत करने का काम किया । महोदय, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके सारे सुझावों का स्वागत है और जो भी कमियाँ उन्होंने विभाग के बारे में गिनाई हैं, उसको हम आत्मसात करते हैं और निश्चित रूप से उसको दूर करने का काम करेंगे ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने आर्थिक विकास में बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किये हैं। साल-दर-साल डबल जी0टी0 रोड फेट लगाकर बरकरार रखकर, मेन्टेन करके उन्होंने बिहार को आर्थिक विकास की ऊँचाइयों तक पहुँचाने का काम किया है। आने वाले इन पाँच वर्षों में, जो भारी मैनडेट हमलोगों को जनता ने दिया है, उसके आधार पर हमलोग बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करेंगे। यह मेरा विश्वास है, परिवहन विभाग का विश्वास है।

महोदय, मुख्य रूप से विभाग का काम राजस्व संग्रहण का भी है। हमलोगों ने इसमें आशातीत सफलता पाई है। 2007-08 में हमलोग महज 200 करोड़ रूपये राजस्व संग्रहण का काम करते थे। आज 2014-15 में हमलोगों ने 966 करोड़ के करीब-करीब राजस्व संग्रहण करने का काम किया है। इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में हमलोगों का अनुमान है कि हमलोग 1100 करोड़ के ऑकड़े को पार कर जायेंगे। इस चीज के बावजूद कि चुनाव के तीन महीने परिचालन कम हुये और इधर एक महीने से बालू ढुलाई और मकान सामग्री की ढुलाई कम होने के कारण कुछ राजस्व की क्षति हुई होगी। जो हमलोगों को ऑकड़े प्राप्त हुये हैं, वह काफी उत्साहजनक हैं। हमलोगों ने वर्ष 2016-17 का लक्ष्य 1500 करोड़ रूपया रखने का काम करेंगे।

महोदय, आज बात होती है ओवरलोडिंग की, बात होती है अवैध परिचालन की। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमलोगों के विभाग द्वारा कई इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाये गये हैं। हमलोगों के पाँच इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हैं - गोपालगंज में है, मोहनियाँ में है, डोभी में है, नवादा के रजौली में है और दलकोला पूर्णियाँ में है। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर हमारे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर बैठते हैं, कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिसर बैठते हैं, फॉरेस्ट के ऑफिसर बैठते हैं, एक्साइज और माइंस के ऑफिसर बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके कारण हमलोगों ने अवैध परिचालन और ओवरलोडिंग को बहुत ही कम करने का काम किया है। आने वाले समय में सारे सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमलोग टेक्नोलॉजी के उपयोग से, आजकल जो हाईलेवल के अच्छे टेक्नोलॉजी हैं, उसका उपयोग करके हमलोग ओवरलोडिंग को कम करने का काम करेंगे, पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे। ऐसा मैं आपलोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ।

महोदय, सिर्फ हमलोग बोर्डर के चेकपोस्ट पर ही इसको रोकने का काम नहीं करते हैं, हमारा प्रवर्तन तंत्र है, हमलोगों की इनफोर्समेंट एजेन्सी है, डी0टी0ओ0 हैं,

एम०बी०आई० हैं, इनफोर्समेंट एस०आई० हैं, इन सारे लोगों को हमलोगों ने लगाकर रखा है। कभी-कभी हमलोग शासन-प्रशासन का भी सहयोग लेते हैं। सामान्य पुलिस प्रशासन से भी हमलोग सहयोग लेते हैं, उनको समन कर हमलोग इमपावरमेंट करते हैं ताकि जो लोग गलत तरीके से चलाते हैं, उनसे वसूली करने का काम करें। महोदय, मैं आपलोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसमें भी हमने आशातीत सफलता पाई है। सिर्फ पिछले वर्ष ही नहीं, इस वर्ष भी हमलोग दिसम्बर माह तक 135 करोड़ इस मद में वसूलने का काम किया है। यह एक अपने-आप में बड़ा रेकर्ड है।

महोदय, आर्थिक प्रगति के कारण बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। धीरे-धीरे परिदृश्य बदलता जा रहा है। 2007-08 में हमारे यहाँ वाहनों का रजिस्ट्रेशन महज डेढ़-दो लाख के करीब होता था, आज 2014-15 में 6 लाख 14 हजार छोटी-बड़ी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होने का काम हुआ है। इसके कारण हमारी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। नागरिकों और जनता को और सुविधा देने के क्रम में हमलोगों ने 21 जिला में जन सुविधा केन्द्र सह परिवहन कार्यालय बनाने का काम किया है, जो स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस है, टोटली कंप्युटराइज्ड है और उसको देखने से लगता है जैसे किसी हम कॉरपोरेट ऑफिस में आने का काम किया है। ऐसा हमलोगों ने नागरिक सुविधा देने का काम किया है। कई ऐसी सुविधाएँ हैं जो हमलोगों ने परिवहन विभाग के माध्यम से देने का काम किया है।

महोदय, आज प्रदूषण की बात होती है। हमलोगों ने ई-रिक्षा के बारे में जो कई तरह की दिक्कतें थीं उसके परिचालन में, हमलोगों ने कानूनी पेंच का समाधान करते हुए ई-रिक्षा और ई-कार्ट को चलाने की अनुमति दी है। महोदय, हमलोग काफी दिनों से समझते आ रहे हैं कि जो भी वाहन हैं, उसमें नम्बर प्लेट एक समान हो। आज आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, इसलिए हमलोग हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने का काम करते हैं। दुख की बात है कि कुछ समय तक यह टलता रहा, मगर इधर ही हमलोगों ने मीटिंग किया है और जो भी दिक्कतें हैं उसको हमलोग दूर करेंगे। आने वाले एक-दो महीने में कोई भी वाहन किसी भी डीलर के प्वायंट से बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के हमलोग नहीं निकलने देंगे। ऐसा हमलोगों ने विभाग में तय किया है और इसको हमलोग लागू करवाने का काम करेंगे।

महोदय, जो कॉर्मशियल गाड़ियों हैं, उनको ई-पेमेन्ट की सुविधा हरेक जिला में एस०बी०आई० के पोर्टल से हमलोगों ने देने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस चीज के लिए सभी लोगों से हर जगह कहा

था, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत हमलोगों ने 18 सेवाओं को सूचीबद्ध किया है और उनमें हमलोगों ने दिन और समय तय किया है कि इतने दिनों में आपको सेवा प्रदान किया जायेगा । महोदय, बताते हुये खुशी हो रही है कि इन सारे चीजों में बहुत अच्छी सफलता 90 प्रतिशत तक उन अधिकारों को देने का काम किया है ।

इतना ही नहीं, हमलोग अपने सामाजिक रिसॉर्सबलिटी, अपनी सामाजिक जिम्मेवारी से भी नहीं भागते हैं । महोदय, महिला सशक्तिकरण के तहत विभाग द्वारा महिलाओं को वाहन में छूट देने का प्रावधान है । थ्री-व्हीलर, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी अगर महिला का अपने नाम पर रहता है और कॉमर्शियल लाइसेंस उनके नाम पर है, 100 प्रतिशत हमलोगों ने छूट देने का काम किया है । इसी प्रकार हमलोगों ने निःशक्तजनों के लिए जो वाहन उनके प्रयोग में आते हैं उसमें भी 100 परसेंट कर में छूट देने का काम किया है ।

महोदय, आपको याद होगा, गत वर्ष नेपाल में भारी भूकम्प आया था । बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया था कि आप इसमें सामने आइये । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय विभाग ने 50 व्यक्तियों की टीम तैयार कर 500 बसों का फ्लीट नेपाल में भेजकर 10 हजार लोगों को वहाँ से निकालने का काम किया था । ऐसा अद्भुत काम किया गया था । उनलोगों को हम शाबासी देते हैं, धन्यवाद देने का काम करते हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-24/आजाद/16.03.2016

श्री चन्द्रिका राय : (क्रमशः) ऐसा अद्भुत काम किया गया था, इसलिए उन लोगों को हम शाबासी देते हैं, धन्यवाद देने का काम करते हैं ।

महोदय, आज एक विषय की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । आज जो आर्थिक विकास हुआ है, उसमें हम सारे जगह देखते हैं, हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, फोर लेन हैं, सिक्स लेन हैं, अन्डर पास हैं, ओवरब्रीजेज हैं, सारी चीजों को देखते हैं । वाहनों की गति बहुत बढ़ती जा रही है और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमलोग सड़क सुरक्षा के मामले में अभी भी उतने अवेयर नहीं हो पाये हैं, जितना हमलोगों को होना चाहिए । इसका बड़ा ही हमारे सामने उद्धरण है और कई जगहों से रिपोर्ट है जिससे लगता है कि दुर्घटनायें महामारी का रूप धारण करते जा रही है ।

महोदय, डब्लू0एच0ओ0 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाईजेशन के अनुसार विश्व में प्रतिदिन 3400 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है और डब्लू0एच0ओ0 का ही रिपोर्ट है कि 53 लाख लोग प्रतिवर्ष विश्व में सड़क दुर्घटना के कारण दुर्घटना के शिकार होते हैं या परमानेन्ट रूप से डिसएब्ल जोन का काम करते हैं। महोदय, यह एक महामारी का रूप धारण करते जा रहा है। भारत में प्रतिदिन 400 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है और इन सब चीजों को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टीक ने सड़क दुर्घटनाओं का सारे जगहों का व्यौरा ले करके और हेल्थ का भी रिपोर्ट लेने के बाद उन लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि - Road traffic injury is in 2004 the ninth leading cause of death and by year 2020 are expected to be fixed leading cause of death overtaking diabetes and aids.

महोदय, बहुत ही गंभीरता से हमलोगों को इस बारे में सोचना होगा क्योंकि यह महामारी का रूप धारण करते जा रहा है। अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, मोटरवाहनों की रफ्तार बढ़ती जा रही है और हमारे अवयवरनेस उतने नहीं बढ़ रहे हैं महोदय। इसलिए हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और हमलोगों को रोड शेफ्टी को जन-आन्दोलन के रूप में लेना पड़ेगा। तभी हमलोग इससे मुक्ति पाने का काम करेंगे। महोदय, इसमें और भी सर्वेक्षण के दौरान यह बात सामने आयी कि जितनी भी सड़क दुर्घटनायें होती हैं, उसमें कहीं न कहीं 75 प्रतिशत ड्राईवरों का दोष होता है। या तो उनकी अक्षमता होती है, कभी-कभी शराब पीने के नशे के कारण दुर्घटनायें होती हैं या ड्राईवर उतने प्रशिक्षित नहीं होते हैं। महोदय, शराब वाली बात तो एक अप्रील से बिहार में खत्म होने वाली है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे तो ड्राईवरों को निजात मिल जायेगा। मगर हमारे जो उतने प्रशिक्षित ड्राईवर नहीं हैं, इसके संबंध में मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हमलोगों ने औरंगाबाद में केन्द्र सरकार की मदद से एक बहुत ही स्टेट ऑफ दी आर्ट इन्स्टीच्यूट का स्थापना किया है। जून-जुलाई तक यह बन जायेगा, मैं वहां पर देखने के लिए स्वयं गया था कि किस हालत में यहां का प्रोग्रेस है। वहां पर टेस्टिंग ट्रैक उसका जो ग्रेडियन्स होते हैं, उठा करके वैसे ट्रैक चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो नये ड्राईवर हैं और जो पुराने ड्राईवर हैं, उन लोगों को भी प्रशिक्षण देने का काम किया जायेगा। महोदय, वहां पर इतना अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट में जिस तरह से हमलोग ट्रैनिंग देने का काम करते हैं, सिमिलेटर के द्वारा हमलोग ट्रैक ड्राईवरों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।

उसके पाठ्यक्रम हमलोगों ने निर्धारित कर रखे हैं और यह सारा कार्य हमलोगों ने मारूती सुजुकी के साथ मिलकर के कर रहे हैं। उनके सौजन्य से हमलोगों ने इस इन्स्टीच्यूट को चलाने का निर्णय लिया है। महोदय, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमलोग टी०ए०ट० ये जो छोटे-छोट संस्थान है महोदय, वह 22 करोड़ की लागत से 17 एकड़ में फैला हुआ है। आने वाले समय में हमलोग टी०ए०ट० का भी ड्राईवर्स ट्रैनिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट बनाने का काम करेंगे, जो महज 5 एकड़ में फैला होगा। उसको भी हमलोग पी०पी०मोड में चलाने का काम करेंगे। हमलोगों ने इन्ट्रेस्टेड पार्टीज को इनवाईट किया है कि हमलोगों के सामने वे आयें और जो भी उनकी बातें होंगी, उसको रखने का काम करें। महोदय, इतना ही नहीं हमलोग आने वाले समय में स्टेट रोड शेफ्टी ऑथोरिटी का भी गठन करने वाले हैं ताकि सारी चीजों को इसमें शामिल करेंगे, जिसमें कई विभागों की सहयोग की आवश्यकता होगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, गृह विभाग इसमें सम्मिलित होने का काम करता है। सरकार ने परिवहन विभाग को नोडल एजेंसी नामित किया है। महोदय, इसलिए हमलोग इसमें आगे बढ़कर के स्टेट रोड शेफ्टी ऑथोरिटी को बनाने का काम करेंगे। आने वाले समय में रोड शेफ्टी फंड की भी उतनी ही आवश्यकता होगी, जिसमें जगह-जगह जाकर के नहीं हम अपने स्तर से इसको करने का काम करेंगे। महोदय, बहुत सारी डायरेक्संस हैं सुप्रीम कोर्ट की, ब्लैक स्पोर्ट आईडेन्टीफिकेशन, जहां ज्यादा खतरा होता है महोदय, जहां पर ज्यादा रेकर्सिंग एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको चिन्हित करने का काम करते हैं। हमारे बिहार में जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होता है, वहां पर बजरंगबली की मूर्ति लगा दी जाती है तो उसको आईडेन्टीफाई करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है। महोदय, मगर इन सब बातों पर मेरा इतना ही कहना था कि आज के जमाने में हमलोग इन सब चीजों को अवैयर बनाने का काम करेंगे। हमलोगों ने 6 से 8 के कक्षाओं में भी रोड शेफ्टी के बारे में पाठ्यक्रम में इन्ट्रोड्यूज करने का काम किया है।

महोदय, अन्त में मैं बस के परिचालन की बात करना चाहता हूँ जो बी०ए०आर०टी०सी० के माध्यम से चलायी जाती है। यह बात सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि वह अभी बहुत बदहाली के रास्ते से गुजर रहा है, कई दशकों से बदहाली के रास्ते से गुजर रहा है। मगर महोदय, हमलोगों ने उसको दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी आदेश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से जो कर्मचारियों के सेवा अवधि के बकाये थे, उसमें हमलोगों ने 381 करोड़ रु० का पैकेज देने का काम किया है, जिससे अभी कर्मचारियों में संतोष की

लहर जगी है । आने वाले समय में भी हमलोगों को जे0एन0यू0आर0एम0 से कुछ बसें प्राप्त हुई हैं, जिसको हमलोग गया, दरभंगा, पटना और छपरा में चलाने का काम कर रहे हैं । आने वाले समय में अगर और भी बसें मिलती हैं तो जितने भी माननीय सदस्यों ने बस चलाने के लिए कहा है कि वहां-वहां जरूरत है, यह अरबन और सेमी अरबन एरिया में चलाने वाली बसें हैं, उसको हमलोग चलाने का काम करेंगे । इसके साथ ही हमने देखा है कि जितनी भी हमलोगों पर लाईबीलीटीज है, उसको हम कैसे दूर करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया था कि आपके पास इतने एसैट्स हैं, उसको हमलोगों ने कलकुलेट कराने का काम किया है । 7000 से 10000 के करीब-करीब हमलोगों की भू-सम्पत्ति है, उसका हमलोग इस्तेमाल करने का काम करेंगे और एसैट मोनीटराईजेशन करने का काम करेंगे ताकि हमलोग बी0एस0आर0टी0सी0 को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे । महोदय, उस जगहों को कन्वर्ट करके पी0पी0मोड में हमलोग उसका अच्छा उपयोग करने का काम करेंगे । महोदय, हम इतना ही अन्त में कहना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में बिहार की जनता ने भारी मेनडेड देने का काम किया है, उसका हमलोग उपयोग करेंगे । बिहार की तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लालू जी के मार्गदर्शन में, सोनिया जी के मार्गदर्शन में हमलोग बिहार को आने वाले समय में अग्रिम पंक्ति में, विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में हमलोग उसको लाने का काम करेंगे । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत, बहुत धन्यवाद । मैं श्री अरुण कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेने का काम करेंगे । बहुत, बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :-

“इस शीर्षक की मांग 10 रु0 से घटायी जाय । ”

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-25/अंजनी/दि० 16.3.16

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि -

"परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 55,75,82,000/- (पचपन करोड़ पचहत्तर लाख बेरासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-25(पच्चीस) है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।